



सत्यमेव जयते

लेखे एक नज़र में 2024-25

महालेखा नियंत्रक

व्यय विभाग

वित्त मंत्रालय

लेखे एक नज़र में 2024-25

विषय सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण	10
वित्तीय विवरण	14
प्राप्तियां	17
व्यय	21
ऋण और अन्य देयताएं	24
विनियोग लेखे	29
शब्दावली	33
परिशिष्ट	39
1. दस वर्षीय सारांश	40
2. करेतर राजस्वों का विवरण	42
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	43
4. मुख्य स्कीमों पर व्यय	44
5. वर्ष 2024-25 में प्रमुख मदों पर व्यय	46
6. वेतन और भत्तों का व्यय	48
7. सहायिकियों का विवरण	56
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	59
9. ब्याज-युक्त बाजार ऋणों का परिपक्वता ब्यौरा	74
10. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत/अधिक व्यय वाले अनुदान/विनियोग	75
11. विनियोग लेखे 2024-25 का सारांश	81
12. वस्तु शीर्षवार व्यय 2024-25	90

लेखे एक नज़र में 2024-25

भूमिका

‘लेखे एक नज़र में’ संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों और आरक्षित राशियों, निवेशों, विनिवेशों, ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना का वृहत विहंगावलोकन पाठक-सुलभ रूप में संक्षिप्त विश्लेषण और ग्राफों द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा-लेखापरीक्षित ब्योरे-वार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

महालेखा नियंत्रक संघ सरकार के लेखों के समेकन के लिए जिम्मेदार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत संघ सरकार के वार्षिक लेखे जिनमें संघ के वित्त और विनियोग लेखे शामिल होते हैं, को संसद के समक्ष उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

संघ वित्त लेखों में भारत सरकार के सिविल और गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन और शेष समेकित होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे और लोक ऋण एवं अन्य देयताओं तथा सरकारी लेखे में कुछ परिसम्पत्तियों से प्राप्तियों एवं निर्गमों के संघ सरकार के वार्षिक लेखे शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) में संसद द्वारा पारित कुल 102 अनुदानों में से 98 सिविल अनुदान शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 में, व्यय किए जाने से पूर्व विनियोगों को संसद द्वारा पारित किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा-अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सूचित करने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रालय के दो सिविल अनुदानों को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹46,52,867[#] करोड़ थीं। सकल कर प्राप्ति ₹37,96,382 करोड़ थी, जिसमें से ₹12,86,885 करोड़ (सकल का 34%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹25,00,039 करोड़ था। कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां ₹30,78,438 करोड़ थीं। भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹46,52,867 करोड़ था, जिसमें से राजस्व व्यय ₹36,00,914 करोड़ (77%) और पूंजीगत व्यय ₹10,51,953 करोड़ (23%) था। वर्ष 2024-2025 में व्यय 5% बढ़कर ₹46,52,867 करोड़ हो गया जो वर्ष 2023-2024 में ₹44,43,447 करोड़ था।

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय प्राप्तियों से अधिक हो गया जिसके परिणामस्वरूप ₹15,74,431 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ जिसे उधारों के माध्यम से पूरा किया गया।

वित्तीय विशेषताएं 2024-25 (₹ करोड़)					
	विवरण	संशोधित अनुमान* 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1	राजस्व प्राप्तियां	30,87,960	30,36,619	27,29,036	11%
2	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	25,56,960	25,00,039	23,27,251	7%
3	करोतर राजस्व	5,31,000	5,36,580	4,01,785	34%
4	पूंजीगत प्राप्तियां	59,000	41,819	59,768	-30%
5	ऋणों की वसूलियाँ (निवल)	26,000	24,617	26,646	-8%
6	अन्य प्राप्तियां	33,000	17,202	33,122	-48%
7	कुल प्राप्तियां (1+4)	31,46,960	30,78,438	27,88,804	10%
8	राजस्व व्यय	36,98,058	36,00,914	34,94,252	3%
9	जिसमें से ब्याज अदायगियाँ	11,37,940	11,15,575	10,63,872	5%
10	जिसमें से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	2,99,891	2,72,656	3,03,916	-10%
11	पूंजीगत व्यय	10,18,429	10,51,953	9,49,195	11%
12	कुल व्यय (8+11)	47,16,486	46,52,867	44,43,447	5%
13	राजस्व घाटा (8-1)	6,10,098	5,64,296	7,65,216	-26%
14	प्रभावी राजस्व घाटा (13-10)	3,10,207	2,91,640	4,61,300	-37%
15	राजकोषीय घाटा (12-7)	15,69,526	15,74,431	16,54,643	-5%
16	प्राथमिक घाटा (15-9)	4,31,586	4,58,856	5,90,771	-22%

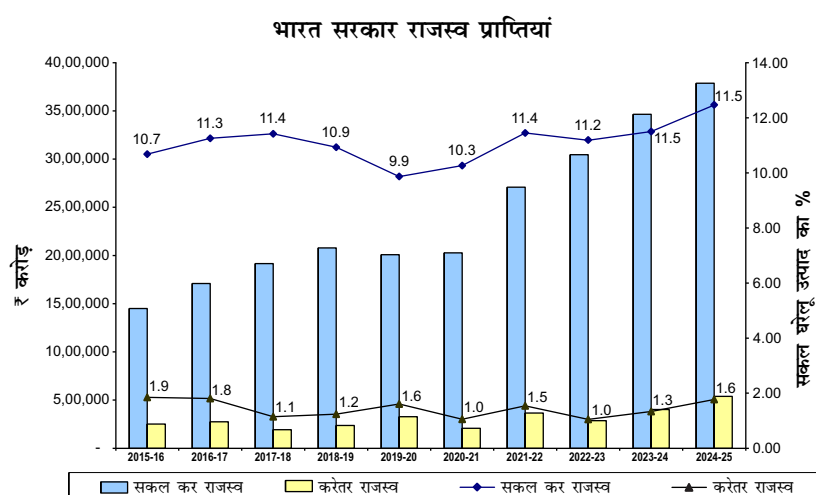
*1. बजट दस्तावेज के अनुसार संशोधित अनुमान।

2. तुलना के लिए 2024-25 वास्तविक बजट दस्तावेज के अनुसार निवल किए गए हैं।

3. इस दस्तावेज में एकल मर्दे पूर्णांकन के कारण कुल योग का सार नहीं होगा।

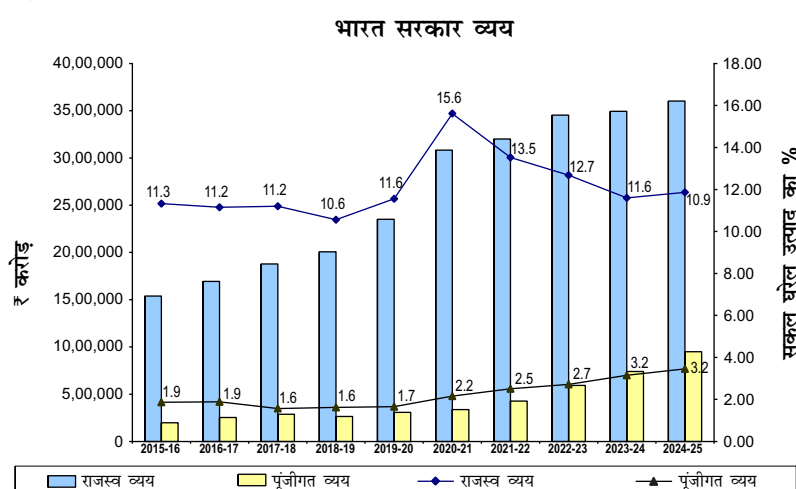
#विवरण के लिए पृष्ठ सं. 11 देखें।

पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल कर प्राप्तियां ₹14,49,958 करोड़ [2015-16] से बढ़कर ₹37,96,382 करोड़ (2024-25) हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष (2024-25) के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 11.48% था। पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 11.00% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.43% रहा। करेतर राजस्व वर्ष [2015-16] में सकल घरेलू उत्पाद के 1.85% से घटकर वर्ष [2024-25] में 1.63% हो गया।



पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में कमी आई है परन्तु सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष के 11.60% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 10.89% था। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.18% था।

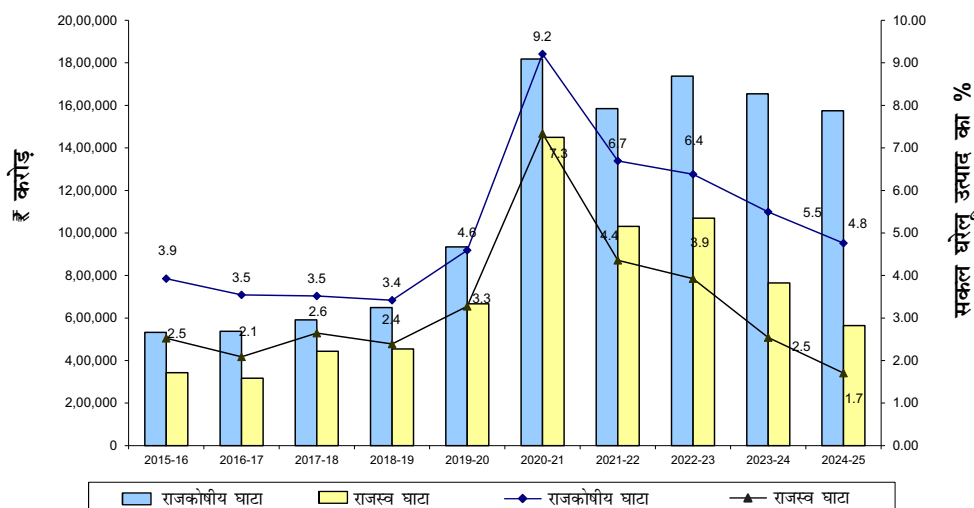
वर्ष 2015-2025 के दशक के दौरान, राजस्व व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 14.24% और पूंजीगत व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 2.23% था। साथ ही, वर्ष 2024-25 में, अंतिम अनुदान में सकल पूंजीगत व्यय (स्वीकृत+प्रभारित) के लिए ₹94,01,178 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वास्तविक सकल व्यय ₹92,69,788 करोड़ था, जिससे ₹13,13,897 करोड़ की बचत हुई।



* वर्ष 2024-25 का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर ₹330.68 लाख करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपने 07 जनवरी, 2026 के प्रेस नोट द्वारा जारी पहली अग्रिम अनुमानों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केन्द्र सरकार की प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 66% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं जिससे ₹15,74,431 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष का राजस्व घाटा ₹5,64,296 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद का 4.76% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.71% था।

भारत सरकार घाटा



सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)*

वर्ष-वार सकल घरेलू उत्पाद मूल्य वर्ष 2015-2016 में ₹135.76 लाख करोड़ से वर्ष 2024-2025 में दो गुना से ज्यादा बढ़कर ₹330.68 लाख करोड़ हो गया।

वर्ष	*सकल घरेलू उत्पाद (₹ लाख करोड़ में)
2015-2016	135.76
2016-2017	151.84
2017-2018	167.73
2018-2019	190.10
2019-2020	203.40
2020-2021	197.46
2021-2022	236.65
2022-2023	272.41
2023-2024	301.23
2024-2025	330.68*

* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जारी पहला संशोधित अनुमान।

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹15,74,431 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से (i) ₹15,26,551 करोड़ के आंतरिक ऋण (ii) ₹47,271 करोड़ के बाहरी ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाए गए संसाधन के घाटे से कम होने के कारण नकदी शेष में ₹186 करोड़ की कमी आई। वर्ष 2024-25 के अंत में नकदी शेष राशि ₹2,624 करोड़ थी।

घाटे का वित्तपोषण (₹ करोड़)				
विवरण	2024-25		2023-24	
बाजार ऋण	10,74,512	59%	11,77,754	71%
अल्पकालिक ऋण (टी बिल)	-1,60,154	-10%	53,205	3%
लघु बचतों के तहत जारी प्रतिभूतियां	4,2	27%	4,51,399	27%
	9,502			
राज्य भविष्य निधि	3,999	0%	5,059	0%
अन्य (आंतरिक ऋण और लोक लेखे)	1,78,692	21%	-88,689	-5%
बाहरी ऋण	47,271	3%	55,121	4%
रोकड़ आहरण	608	0%	794	0%
कुल वित्तपोषण	15,74,431	100%	16,54,643	100%

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹97,91,620 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और ₹85,00,779 करोड़ के पिछले ऋण का निपटान किया। इसका निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹12,90,841 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31-03-2025 को बकाया ऋण का कुल स्टॉक ₹1,65,57,681 करोड़ था। वर्ष 2024-2025 के अंत में ब्याज वाले कुल दायित्व ₹1,73,27,751 करोड़ थे, और कुल देनदारियाँ ₹1,78,19,868 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन (₹ करोड़)					
विवरण	1 अप्रैल, 2024	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2025	वृद्धि/ कमी
ऋण*	1,52,66,840#	97,91,620	85,00,779	1,65,57,681	12,90,841
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	5,31,538	23,66,634	24,20,803	4,77,369	-54,170
ब्याज वाली अन्य देयताएं	2,99,000	1,10,249	1,16,548	2,92,701	-6,299
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	3,37,389	17,11,121	15,56,393	4,92,117	1,54,727
कुल ऋण और अन्य देयताएं	1,64,34,767	1,39,79,624	1,25,94,523	1,78,19,868	13,85,102

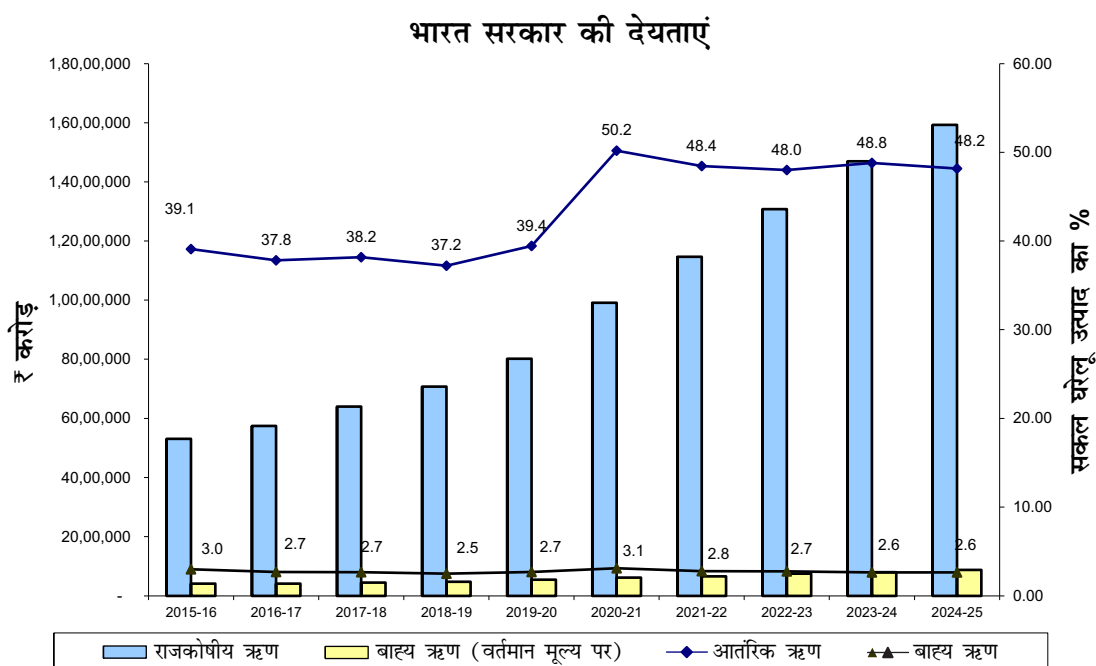
प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

* बाह्य ऋण (6,31,732 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹8,74,300 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹1,68,00,249 करोड़ होती।

** 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार लघु बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹95,34,33 करोड़ है। इसमें से ₹16,183 करोड़ संचित घाटा है, ₹2,78,798 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, ₹35,000 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में और पोलिफ निवेश से संबंधित ₹1,46,083 करोड़ का निवेश निजी फंड प्रबंधकों के पास किया गया और इस प्रकार इस लेखे में ₹4,77,369 करोड़ की देयता बकाया है।

अंतर पीपीए के कारण है।

पिछले 10 वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2015-16 में ₹57,11,425 करोड़ था, वह वर्ष 2024-25 में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹1,68,00,249 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर], जोकि वर्ष 2015-16 में सकल उत्पाद का 42.07% था, वह 2024-25 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 50.81% हो गया। वर्ष 2024-25 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 48.16% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 2.64% था।



निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने ₹30,78,438 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹98,96,390 करोड़ का ऋण उठाया। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि में प्राप्त कुल निधियां, ₹1,29,74,828 करोड़ थीं। इसमें से, ₹85,00,779 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्दायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹46,52,867 करोड़ सरकार के चालू कार्याकलापों पर व्यय किए गए। भारत की समेकित निधि से कुल ₹1,31,53,646 करोड़ का व्यय हुआ। भारत की समेकित निधि में व्यय की तुलना में अधिक प्राप्तियों के साथ-साथ लोक लेखों (₹1,78,210) में निवल प्राप्तियों के कारण नकद शेष में ₹608 करोड़ की कमी आई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग (₹ करोड़)					
स्रोत			अनुप्रयोग		
	2024-25	2023-24		2024-25	2023-24
प्राप्तियां	30,78,438	27,88,804	व्यय	46,52,867	44,43,447
कर	25,00,039	23,27,251	राजस्व	36,00,914	34,94,252
करेतर	5,36,580	4,01,785	जिसमें से ब्याज अदायगी	11,15,575	10,63,872
ऋणेंतर पूंजी	41,819	59,768	पूँजीगत	10,51,953	9,49,195
अन्य स्रोत	100,75,208	91,17,136	अन्य अनुप्रयोग	85,00,779	74,62,493
नया ऋण	98,96,390	92,12,550	ऋण की पुनर्अदायगी	85,00,779	74,62,493
1. आन्तरिक ऋण	97,93,681	91,10,112	1. आंतरिक ऋण	84,45,341	74,15,176
2. बाह्य ऋण	1,02,709	1,02,438	2. बाह्य ऋण	55,438	47,317
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	608	794			
लोक लेखा	1,78,210	-96,208			
कुल	1,31,53,646	1,19,05,940	कुल	1,31,53,646	1,19,05,940

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान कर प्राप्तियों और करेतर प्राप्तियों में क्रमशः 7% और 34% की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कुल प्राप्तियों में 10% की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल सरकारी व्यय में 5% की वृद्धि हुई, राजस्व व्यय में भी 3% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 11% की वृद्धि हुई।

बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण

प्राप्तियाँ

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व ₹25,00,039 करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 97.77% था और करेतर राजस्व (₹5,36,580 करोड़) संशोधित अनुमान का 101.05% था। कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹30,36,619 करोड़) संशोधित अनुमानों का 98.34% थीं।

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (₹41,819 करोड़) में विनिवेश प्राप्तियों और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ शामिल होती हैं, ये संशोधित अनुमानों का 70.88% थीं। इस प्रकार सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियाँ ₹30,78,438 करोड़ थीं जो कि वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय (₹46,52,867 करोड़) से राजकोषीय घाटे के रूप में ₹15,74,431 करोड़ कम थीं। 'ऋण वित्तपोषण' से पूरे किए गए घाटे का संघटक संशोधित अनुमान का 100.31% था। वर्ष के दौरान सरकार की कुल ऋण प्राप्तियाँ ₹15,73,823 करोड़ थीं जो संशोधित अनुमानों का 103.71% थीं। नकद आहरण द्वारा ₹51,951 करोड़ के अनुमान की तुलना में सरकार की आरक्षित नकदी में ₹608 करोड़ की कमी आई।

प्राप्तियाँ 2024-25 (₹ करोड़)				
	संशोधित अनुमान	वास्तविक राशि	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि
	(2024-25)	(2024-25)	राशि % में	(2023-24)
1. राजस्व प्राप्तियाँ				
कर राजस्व	38,53,455	37,96,382	98.52	34,65,519
सकल कर राजस्व	9,08,459	9,08,954	100.05	8,20,627
केन्द्रीय माल और सेवा कर	0	-32,483	-	-4,848
एकीकृत माल और सेवा कर	1,53,440	1,50,570	98.13	1,41,436
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	9,80,000	9,86,767	100.69	9,11,055
निगम कर	12,57,000	12,35,171	98.26	10,44,240
आयकर (एसटीटी + ब्याज कर + अनुषंगी लाभ कर + व्यय कर सहित)	-	-	-	6
धन कर	2,35,000	2,33,201	99.23	2,33,119
सीमा शुल्क	3,05,000	3,00,253	98.44	3,05,362
संघ उत्पाद शुल्क	9,456	9,527	100.75	8,625
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	5,000	4,422	88.44	5,457
संचार और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	9,610	9,458	98.42	8,774
घटाएं - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी				
घटाएं - राज्यों का भाग	12,86,885	12,86,885	100.00	11,29,494
1 (क) केन्द्र का निवल कर राजस्व	25,56,960	25,00,039	97.77	23,27,251

	संशोधित अनुमान (2024-25)	वास्तविक राशि (2024-25)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2023-24)
2 करेतर राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	34,042	40,435	118.73	38,261
लाभांश और लाभ	2,89,285	3,08,424	106.62	1,70,877
बाह्य अनुदान	1,176	687	58.42	1,013
अन्य करेतर राजस्व	2,03,427	1,84,206	90.55	1,88,568
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	3,070	2,828	92.12	3,066
कुल करेतर राजस्व	5,31,000	5,36,580	101.05	4,01,785
कुल राजस्व प्राप्तियां I (1 क + 2)	30,87,960	30,36,619	98.34	27,83,207
3 पूंजीगत प्राप्तियां				
क ऋणोत्तर प्राप्तियां				
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	26,000	24,617	94.68	26,646
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	33,000	17,202	52.13	33,122
कुल	59,000	41,819	70.88	59,768
ख ऋण प्राप्तियां*				
उधारी	10,42,678	9,14,358	87.69	12,30,959
लघु बचतों पर जारी प्रतिभूतियां	4,11,872	4,29,502	104.28	4,51,399
राज्य भविष्य निधि (निवल)	5,000	3,999	79.99	5,059
अन्य प्रप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखे)	26,034	1,78,692	686.38	-88,689
बाह्य ऋण	31,992	47,271	147.76	55,121
कुल	15,17,576	15,73,823	103.71	16,53,849
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	15,76,576	16,15,641	102.47	17,13,617
4 भारत की आकस्मिकता निधि		0	-	0
भारत की आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग			-	-
अंतरण के तहत निवल			-	-
5 नकद शेष की आहरण द्वारा कमी	51,951	608	1.17	794
कुल प्राप्तियां (1क+2+3+4+5)	47,16,487	46,52,867	98.65	44,43,447
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+5)	15,69,527	15,74,431	100.31	16,54,643
एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)	0	0	0	0

व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹46,52,867 करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों का 98.65% था। राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 97.37% था, जबकि पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमानों का 103.29% था। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदानों पर व्यय संशोधित अनुमानों का 99.06% था और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण पर व्यय संशोधित अनुमानों का 103.79% था।

* प्राप्तियां पुनर्दायगी की निवल हैं।

डाक घाटे पर व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया, जबकि राजस्व खंड में अन्य सभी व्यय संशोधित अनुमानों से कुछ भिन्न रहे। पूंजीगत खंड में, ऋणों तथा अग्रिमों तथा सामान्य सेवाओं पर भी व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक रहा, जबकि शेष संघटकों पर व्यय संशोधित अनुमानों से कम रहा।

व्यय 2024-25 (₹ करोड़)					
		संशोधित अनुमान (2024-25)	वास्तविक राशि (2024-25)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2023-24)
क	राजस्व व्यय				
1	ब्याज अदायगियां और पूर्व भुगतान प्रीमियम	11,37,940	11,15,575	98.03	10,63,872
2	रक्षा सेवा	2,97,222	2,90,965	97.89	2,90,443
3	सहायिकियां	4,27,868	4,22,606	98.77	4,35,295
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	5,94,207	5,88,638	99.06	6,09,677
5	पेंशन*	2,75,103	2,73,772	99.52	2,38,328
6	पुलिस	1,36,306	1,34,990	99.03	1,15,939
7	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	9,610	9,458	98.41	8,774
8	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	1,21,950	1,09,484	89.78	93,533
9	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	1,79,207	1,77,561	99.08	2,38,067
10	आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)	9,05,025	4,37,225	48.31	3,63,147
11	डाक घाटा	24,537	24,915	101.54	23,068
12	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	16,393	16,354	99.77	15,973

		संशोधित अनुमान (2024-25)	वास्तविक राशि (2024-25)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2023-24)
13	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	-9,610	-9,458	98.41	-8,774
14	विदेशी सरकारों को अनुदान	10,166	8,829	86.84	7,455
कुल राजस्व व्यय		36,98,058	36,00,914	97.37	34,94,252
ख	पूँजीगत व्यय				
1	सामान्य सेवाएं	1,82,591	1,90,717	104.45%	1,77,488
	जिनमें से रक्षा सेवाएं	1,59,500	1,59,768	100.17%	1,54,256
2	समाज सेवाएं	11,503	11,231	97.63%	8,587
3	आर्थिक सेवाएं	6,49,071	6,48,782	99.96%	5,97,954
4	ऋण और अग्रिम	1,70,693	1,96,671	115.22%	1,61,039
	जिसमें से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	1,59,792	1,65,845	103.79%	1,22,873
	जिसमें से विदेश सरकारों को कर्ज	870	810	93.10%	1,612
	जिसमें से पीएसयू को कर्ज सहित अन्य कर्ज	10,031	30,016	299.13%	36,554
5	बिना विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का व्यय	4,570	4,552	99.61%	4,127
कुल पूँजीगत व्यय		10,18,429	10,51,953	103.29	9,49,195
ग	आकस्मिकता निधि	-	-	-	-
	आकस्मिकता निधि को अंतरण निवल	-	-	-	-
कुल व्यय (क+ख+ग)		47,16,487	46,52,867	98.65	44,43,447

* पेंशन राशि मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का जोड़ है।

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़)			
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	देयताएं	1,78,49,868	1,64,64,395
क.	लोक ऋण	1,65,57,681	1,52,64,446
	1. आंतरिक ऋण	1,59,25,949	1,46,98,177
	2. बाह्य ऋण	6,31,733	5,66,269
ख.	आकस्मिकता निधि	30,000	30,000
ग.	लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	12,62,187	11,69,949
	1. आरक्षित निधियां	3,79,426	2,39,232
	2. जमा और अग्रिम	4,05,392	3,97,317
	3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	4,77,369	5,31,538
	परिसम्पत्तियां	1,78,49,868	1,64,64,395
क.	रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	81,066	1,75,405
	1. रोकड़ शेष	2,624	3,232
	2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	78,442	1,72,172
ख.	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	28,35,852	24,94,370
	1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	18,41,574	15,52,810
	2. कर्ज तथा अग्रिम	9,94,278	9,41,560
	क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6,63,985	6,23,358
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3,30,293	3,18,202
ग.	उचंत और विविध	8,802	7,524
घ.	संचित घाटा*	1,49,24,148	1,37,87,097

स्रोत : संघ सरकार वित्त लेखे (2024-25)-सकल आंकड़े

* पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

विवरण के लिए पृष्ठ 33 पर पैरा 5 देखें।

प्रचालन विवरण (₹ करोड़)		
	2024-2025	2023-2024
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	34,22,438	30,88,175
कर राजस्व	25,09,496	23,36,025
करेतर राजस्व	9,12,255	7,51,137
सहायता अनुदान	687	1,013
अन्य प्राप्तियां	20,214	45,281
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	50	1,638
अन्य	20,164	43,643
कुल प्राप्तियां	34,42,652	31,33,456
व्यय		
राजस्व लेखा	39,87,374	38,54,082
सामान्य सेवाएं	20,16,116	18,78,933
सामाजिक सेवाएं	1,94,316	2,53,336
आर्थिक सेवाएं	11,79,476	11,04,681
सहायता अनुदान	5,97,466	6,17,132
पूँजीगत लेखा	5,65,455	5,20,785
सामान्य सेवाएं	1,91,056	1,77,840
सामाजिक सेवाएं	11,956	9,173
आर्थिक सेवाएं*	3,62,443	3,33,772
विविध	12,538	10,852
कुल व्यय	45,65,367	43,85,719
पूर्व अवधि समायोजन	14,336	-7,627
घाटा*	11,37,051	12,44,636

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2024-25)-सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश में ₹2,92,801 करोड़ का व्यय छोड़कर।

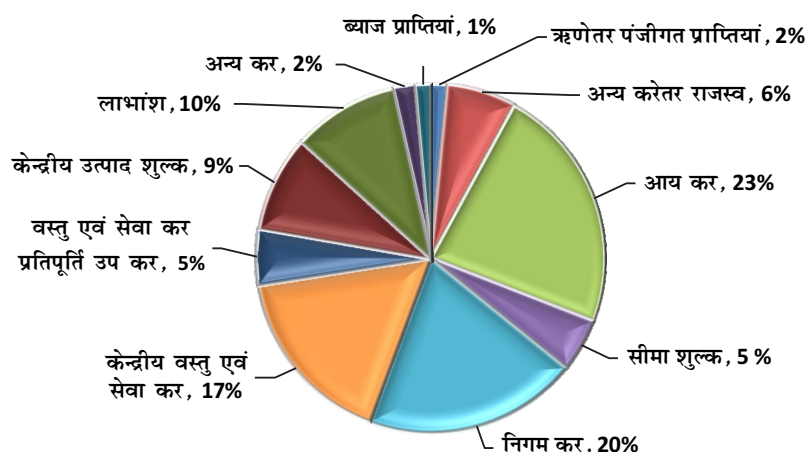
प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण (₹ करोड़)		
	2024-2025	2023-2024
प्राप्तियां	1,78,86,375	1,63,22,965
भारत की समेकित निधि	1,34,07,050	1,24,10,479
कर राजस्व	25,09,496	23,36,025
करेतर राजस्व	9,12,255	7,51,137
सहायता अनुदान और अंशदान	687	1,013
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	20,214	45,281
लोक ऋण	97,91,620	91,60,050
कर्ज तथा अग्रिम	1,72,778	1,16,973
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	44,79,325	39,12,486
अल्प बचतें, भविष्य निधि	23,66,634	20,99,224
आरक्षित निधियां	7,99,502	6,91,224
जमा तथा अग्रिम	11,33,365	10,16,894
उचंत और विविध	1,71,513	1,03,204
प्रेषण	8,311	1,940
संवितरण	1,78,86,983	1,63,23,759
भारत की समेकित निधि	1,35,85,869	1,23,15,065
सामान्य सेवाएं	20,16,116	18,78,933
सामाजिक सेवाएं	1,94,316	2,53,336
आर्थिक सेवाएं	11,79,476	11,04,681
सहायता अनुदान और अंशदान	5,97,466	6,17,132
पूंजीगत परिव्यय	8,58,256	8,07,180
ऋण की पुर्नअदायगी	85,00,779	74,62,493
कर्ज तथा अग्रिम	2,39,460	1,91,310
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	43,01,114	40,08,694
अल्प बचतें, भविष्य निधि	24,20,803	21,14,195
आरक्षित निधियां	6,57,286	6,00,792
जमा तथा अग्रिम	11,29,736	9,94,339
उचंत और विविध	87,491	2,24,910
प्रेषण	5,798	74,458
संवितरणों की तुलना में प्राप्तियां	-608	-794
प्रारंभिक रोकड़ शेष	3,232	4,026
अंतिम रोकड़ शेष	2,624	3,232

स्त्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2024-25)-सकल आंकड़े

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग लगभग 81% है। शेष राजस्व करेतर राजस्व (17%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (2%) से आया। निगम कर, आय कर, माल एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत हैं, जोकि कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों को लगभग 74% हैं। निगम कर (20%), केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (17%), आय कर (23%), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (9%), सीमा शुल्क (5%), माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर (5%), लाभांश (10%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (2%) ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों का मुख्य भाग हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2024-25)



वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां (राज्यों को करों का निवल अंतरण) ₹30,78,438 करोड़ थी। कर राजस्व में 7% की वृद्धि होकर यह ₹23,27,251 करोड़ से ₹25,00,039 करोड़ हो गया, जबकि करेतर राजस्व में 34% की वृद्धि होकर यह ₹4,01,785 करोड़ से ₹5,36,580 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में भी ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में 30% की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में समग्र रूप से 10% की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार की ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों की वजह से ₹24,617 करोड़ की राशि शामिल है।

ऋणोत्तर प्राप्तियां (₹ करोड़)			
विवरण	2024-25	2023-24	वृद्धि
कर राजस्व	25,00,039	23,27,251	7%
करेतर राजस्व	5,36,580	4,01,785	34%
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	41,819	59,768	-30%
कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां	30,78,438	27,88,804	10%

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केन्द्र को निवल) वर्ष 2023-24 में ₹23,27,251 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹25,00,039 करोड़ हो गया। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर में 12% और आयकर में 16% की वृद्धि हुई, इसके अलावा निगम कर में 9% की वृद्धि जबकि प्रतिभूति लेनदेन कर में 55% की वृद्धि हुई।

कर राजस्व (₹ करोड़)								
विवरण		2024-25			2023-24			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
		सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. वस्तु एवं सेवा कर								
क केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर		9,08,954	3,75,849	5,33,105	8,20,627	3,42,787	4,77,840	12%
ख एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर		-32,483	-	-32,483	-4,848	-	-4,848	570%
ग वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूरक उपकर		1,50,570	-	1,50,570	1,41,436	-	1,41,436	6%
2 निगम कर		9,86,767	3,65,161	6,21,606	9,11,055	3,39,024	5,72,031	9%
3 आयकर		11,82,964	4,65,690	7,17,274	10,10,446	3,91,528	6,18,918	16%
4 प्रतिभूति लेनदेन कर		52,197	-	52,197	33,778	-	33,778	55%
5 सीमा शुल्क		2,33,201	65,472	1,67,729	2,33,119	39,582	1,93,537	0%
6 संघ उत्पाद शुल्क		3,00,253	12,601	2,87,652	3,05,362	14,979	2,90,383	-2%
7 अन्य कर		4,432	2,112	2,320	5,919	1,595	4,324	-25%
8 संघ राज्य क्षेत्रों के कर		9,527	-	9,527	8,625	-	8,625	10%
9 एनसीसीएफ का अंतरित अधिभार		-9,458	-	-9,458	-8,774	-	-8,774	8%
		37,86,924	12,86,885	25,00,039	34,56,745	11,29,494	23,27,251	10%

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क/प्रभार के रूप में उपार्जित होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जो कि वर्ष 2023-24 में ₹4,01,785 करोड़ था वह वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर ₹5,36,580 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹1,34,795 करोड़ की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)				
क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	40,435	38,261	6
2.	लाभांश और लाभ	3,08,424	1,70,877	80
3.	संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व	2,828	3,066	-8
4.	अन्य करेतर राजस्व	1,84,893	1,89,581	-3
कुल करेतर राजस्व		5,36,580	4,01,785	33

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों पर प्रोदभूत होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 16% है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम (8%), बाजार ऋणों पर प्रीमियम/ब्याज से प्राप्त ₹67,795 करोड़ और ₹48,866 करोड़ की कुल में से विभाग वाणिज्यिक उपक्रम विभाग (2%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹91,790 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹13,116 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र/अन्य उपक्रमों में प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	14,729	13,641	9,702	6,552
2.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	2,054	1,600	1,544	1,534
3.	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	7,212	7,686	1,664	2,088
4.	अन्य	67,795	55,747	46,654	36,003
कुल		91,790	78,674	59,564	46,177

लाभांश

सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,70,891 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2024-25 में ₹3,08,436 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें ₹1,37,545 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश में अत्यधिक वृद्धि हुई है यह 141% से भी अधिक है और यह कुल लाभांश में मुख्य योगदानकर्ता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभांशों में भी 30% की वृद्धि हुई है।

लाभांश - मुख्य स्रोत (₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	74,092	63,827	59,735	59,120
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	3,662	4,273	916	-
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	18,013	13,807	8,738	2,231
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	2,10,874	87,416	30,308	99,122
5.	अन्य	1,795	1,568	225	180
कुल		3,08,436	1,70,891	99,922	1,60,653

विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ

विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश भी शामिल है। वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹50 करोड़ की प्राप्ति हुई तथा ₹7,760 करोड़ की राशि प्राप्ति हुई, ₹12,404 करोड़ की शेष पूंजीगत प्राप्तियों में से, ₹6,661 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय और ₹3,012 करोड़ विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त हुए बोनस शेयरों से संबंधित हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	50	1,638	475	2,936
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	7,760	13,582	29,709	5,496
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	12,404	30,061	15,851	6,206
कुल		20,214	45,281	46,035	14,638

* विवरण में संघ सरकार के करेतर राजस्व दर्शाए गए हैं और वाणिज्यिक प्राप्तियों के विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत किए गए हैं।

व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹46,52,867 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,09,420 करोड़ (4.71%) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹36,00,914 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹1,06,662 करोड़ (3%) की वृद्धि हुई तथा पूंजीगत व्यय ₹10,51,953 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,02,758 करोड़ (10.82%) की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 23% था। पूंजीगत व्यय में वृद्धि ऋण एवं अग्रिम के अधिक संवितरण के कारण हुई।

व्यय (₹ करोड़)			
विवरण	2024-25	2023-24	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
राजस्व	36,00,914	34,94,252	3.05
सामान्य सेवाएं	19,27,882	18,04,439	6.84
सामाजिक सेवा	1,84,858	2,44,562	-24.41
आर्थिक सेवाएं	8,90,708	8,28,119	7.56
सहायता अनुदान और अंशदान	5,97,466	6,17,132	-3.19
पूंजीगत	10,51,953	9,49,195	10.83
सामान्य सेवाएं	1,91,056	1,77,839	7.43
सामाजिक सेवा	11,955	9,173	30.34
आर्थिक सेवाएं	6,52,232	6,01,088	8.51
कर्ज एवं अग्रिम	1,96,710	1,61,095	22.11
कुल व्यय	46,52,867	44,43,447	4.71

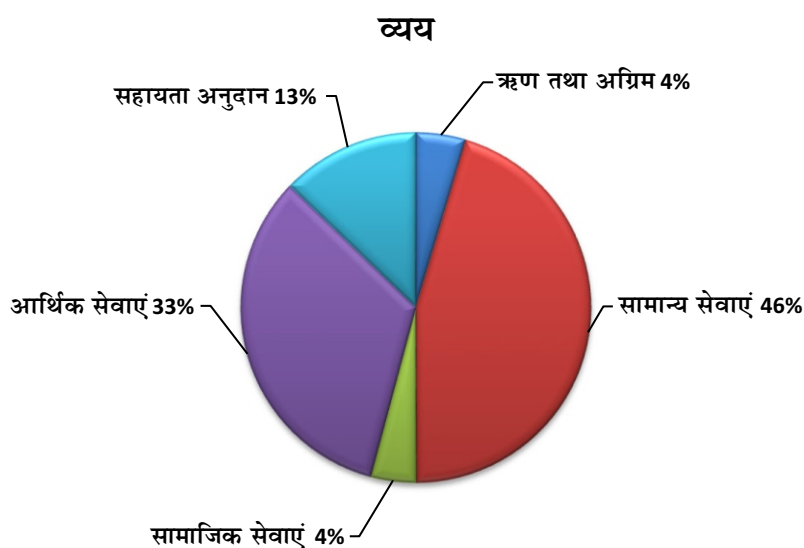
क्षेत्रवार व्यय (₹ करोड़)			
विवरण	2024-25	2023-24	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
सामान्य सेवाएं	21,18,938	19,82,278	6.89%
सामाजिक सेवा	1,96,813	2,53,735	-22.43%
आर्थिक सेवाएं	15,42,940	14,29,207	7.96%
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,97,466	6,17,132	-3.19%
कर्ज और अग्रिम	1,96,710	1,61,095	22.11%
कुल व्यय	46,52,867	44,43,447	4.71%

कुल पूंजीगत व्यय में से ₹8,55,243 करोड़ (81%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (19%) के रूप में थे।

वर्ष	परिसंपत्ति निर्माण		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2016-17	2,49,472	87%	36,810	13%	2,86,282
2017-18	2,45,112	93%	18,027	7%	2,63,139
2018-19	2,79,493	92%	28,221	8%	3,07,714
2019-20	3,11,851	93%	24,414	7%	3,36,265
2020-21	3,15,826	74%	1,10,491	26%	4,26,317
2021-22	5,34,498	90%	58,376	10%	5,94,793
2022-23	6,24,757	84%	1,15,268	16%	74,00,25
2023-24	7,88,100	83%	1,61,095	17%	9,49,195
2024-25	8,55,243	81%	1,96,710	19%	10,51,953

क्षेत्रवार आवंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹21,18,938 करोड़ (कुल व्यय का 46%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशन, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर ₹1,96,813 करोड़ (कुल व्यय का 4%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹15,42,940 करोड़ (कुल व्यय का 33%) का व्यय है। ₹5,97,466 करोड़ (कुल व्यय का 13%) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में जारी किए गए। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम के रूप में ₹1,96,710 करोड़ (कुल व्यय का 4%) की राशि दी गई।



मुख्य सहायिकायां (सब्सिडी)

मुख्य सहायिकायां पर व्यय जो कि वर्ष 2023-24 में ₹4,34,899 करोड़ था वह वर्ष 2024-25 में ₹4,22,606 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3% की कमी हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर सब्सिडी क्रमशः ₹1,99,867 करोड़, ₹1,70,683 करोड़ तथा ₹14,479 करोड़ थीं। खाद्य सब्सिडी में पिछले वर्ष से 6% की कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम सब्सिडी में 18% और उर्वरक सहायिकी में 9% की वृद्धि हुई। अन्य मदों के सहायिकी बिल में 67% की वृद्धि हुई।

मुख्य आर्थिक सहायता (₹ करोड़)			
विवरण	2024-25	2023-24	वर्षवार वृद्धि
खाद्य	1,99,867	2,11,814	-6%
उर्वरक	1,70,683	1,88,292	-9%
पेट्रोलियम	14,479	12,240	18%
अन्य	37,577	22,552	67%
कुल	4,22,606	4,34,899	-3%

1. वेतन एवं भत्ते व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार-/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।
2. सहायिकायां को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 में दिया गया है।

ब्याज सहायिकी 2024-25 में ₹21,885 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,369 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सब्सिडी का मुख्य घटक आशोधित ब्याज अनुदान योजना (₹17,812 करोड़) और ब्याज समकरण योजना (₹2,482 करोड़) थी। अन्य सब्सिडी भी वर्ष 2023-24 में ₹3,037 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹15,692 करोड़ हो गई।

निवल उधार

सरकार के उधार कार्य के मुख्य लाभार्थी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थान होती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने ₹2,39,459 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्अदायगी के रूप में ₹1,72,778 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि में ₹66,681 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के अंत में, सरकार के अग्रिम ₹9,94,278 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार (₹ करोड़)						
क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-24	वृद्धियां	प्राप्तियां	31-मार्च-25	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	6,14,401	1,83,895	1,38,549	6,59,747	45,346
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	8,957	142	4,861	4,237	-4,720
3.	विदेशी सरकारें	16,676	809	269	17,216	540
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	2,87,157*	54,433	28,986	3,12,604	25,447
5.	सरकारी कर्मचारी	406	180	112	473	67
कुल		9,27,597*	2,39,459	1,72,778	9,94,278	66,681

निवेश

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹2,49,548 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹21,57,811 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश (₹ करोड़)		
क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	30,436
2.	संयुक्त स्टॉक कंपनियां	14,44,883
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	1,79,664
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	5,02,551
5.	सहकारी समितियां	277
कुल		21,57,811

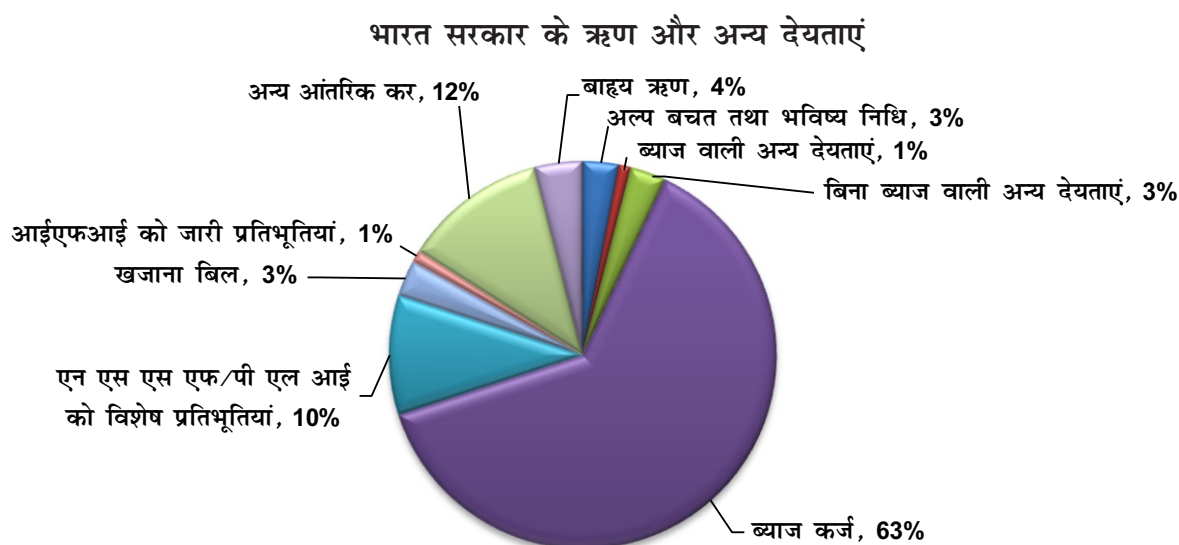
मंत्रालय-वार/विभाग-वार व्यय के ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

*पीपीए के कारण अलग-अलग होता है।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व पर अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखा में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में भी काम करता है।

31 मार्च, 2025 को सरकार की कुल देनदारी ₹1,78,19,868 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹1,59,25,949 करोड़ (89%), बाह्य ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर) ₹6,31,732 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹12,62,187 करोड़ (7%) थीं।



31 मार्च 2025 तक, कुल सार्वजनिक ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण, ₹1,65,57,681 करोड़ था। वर्ष के प्रारंभ में सार्वजनिक ऋण ₹1,52,66,840 करोड़ से वर्ष के दौरान 13% बढ़ गया। 31.03.2025 को चालू विनिमय दर पर लोक ऋण ₹1,54,94,255 करोड़ की तुलना में ₹1,68,00,249 करोड़ था।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संचटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केन्द्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियों भी आंतरिक ऋण का भाग होती है।

आंतरिक ऋण की कुल राशि वर्ष के प्रारंभ में ₹1,47,00,571 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹1,59,25,949 करोड़ हो गई। बाजार कर्ज ₹1,02,13,255 करोड़ से बढ़कर ₹1,11,42,466 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)					
स्रोत	1 अप्रैल, 2024	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2025	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	1,02,13,255*	15,25,794	5,96,583	1,11,42,466	9,29,211
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	1,06,987	8,998	7,154	1,08,831	1,844
364 दिन के खजाना बिल	4,57,487	3,59,389	4,57,487	3,59,389	-98,098
अर्थोपाय अग्रिम	-	52,254	52,254	-	-
14 दिन के खजाना बिल	2,67,517	57,68,474	58,47,347	1,88,644	-78,873
बाजारयोग्य प्रतिभूतियां	16,688	-	-	16,688	-
एनएसएसएफ को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	64,569	-	64,569	-	-64,569
एनएसएसएफ को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	16,53,805	3,81,840	2,13,162	18,22,483	1,68,678
पीएलआई के अंतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां	20,894	-	-	20,894	-
अन्य	18,99,369	15,73,970	12,06,785	22,66,554	3,67,185
कुल आंतरिक ऋण	1,47,00,571	96,70,719	84,45,341	1,59,25,949	12,25,378

बाह्य ऋण

वर्ष 2024-25 के अंत में बाह्य ऋण कर राशि (ऐतिहासिक विनिमय दरों पर) ₹6,31,732 करोड़ था जो कुल बकाया ऋण का 3.81% होता है। वर्तमान विनिमय दर पर (31.3.2025) की स्थिति के अनुसार यह ₹8,74,300 करोड़ है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01-अप्रैल 2024	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2025	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	19,469	7,564	18,736	8,297	-11,173	1,23,730
जापान	1,73,930	27,894	6,806	1,95,018	21,088	1,99,968
ए.डी.बी.	1,39,294	25,942	13,610	1,51,626	12,332	1,96,187
जर्मनी	8,734	4,887	2,687	10,934	2,200	26,614
आईबीआरडी	1,22,115	32,912	10,088	1,44,939	22,824	1,81,786
आईएफएडी	2,166	323	247	2,242	76	4,226
संयुक्त राज्य अमरीका	-317	263	74	-128	189	111
अन्य	1,00,878	21,116	3,190	1,18,804	17,927	1,41,678
कुल बाह्य ऋण	5,66,269	1,20,901	55,438	6,31,732	65,463	8,74,300

ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता विवरण परिशिष्ट-9 पर है।

*पीपीए के कारण अलग-अलग होता है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	1 अप्रैल, 2024	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2025	वृद्धि/कमी
एएडीबी	यूएसडी	2,149	271	162	2,258	109
	येन	-	4,313	-	4,313	4,313
फ्रांस	यूरो	109	22	8	123	14
जर्मनी	यूरो	264	54	30	288	23
आईबीआरडी	यूएसडी	1,880	335	119	2,096	216
	येन	-	3,437	-	3,437	3,436
आईडीए	यूएसडी	322	10	27	305	-17
	एसडीआर	1,007	-	147	860	-146
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	एसडीआर	31	1	2	30	-1
	यूएसडी	7	3	1	9	2
जापान	येन	3,13,672	47,966	11,737	3,49,901	36,229
ओपेक	यूएसडी	1	1	-	2	1
रूसी परिसंघ	रूपया	370	-	27	343	-27
	यूएसडी	385	49	-	434	49
यूएसए, एसआरपी ऋण और पीएल-480 सहित	यूएसडी	2	-	1	1	-1
यूरोपियन निवेश बैंक	यूरो	112	39	5	146	34
एशिया अवसंरचना निवेश बैंक	यूएसडी	426	67	14	479	52
न्यू डेवलेपमेंट बैंक	यूएसडी	387	53	9	431	44
दक्षिण कोरिया	यूएसडी	10	&	&	10	-

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2025 को लोक लेखे में ₹12,62,187 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹7,70,070 करोड़ की थी और शेष ₹4,92,117 करोड़ की देयताएं बिना ब्याज वाली थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	1 अप्रैल, 2024	वृद्धि	उन्मोचन	31 मार्च, 2025	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि *	5,31,538	23,66,634	24,20,803	4,77,369	-54,170
अन्य ब्याज वाली	2,99,000	1,10,249	1,16,548	2,92,701	-6,299
आरक्षित निधि	23,066	65,639	62,194	26,511	34,44
जमा	2,75,933	44,611	54,354	2,66,190	-9,743
अन्य बिना-ब्याज वाली	3,37,389	17,11,121	15,56,393	4,92,117	1,54,727
आरक्षित निधि	2,14,144	7,33,863	5,95,092	3,52,915	1,38,771
जमा	1,23,245	9,77,258	9,61,301	1,39,202	15,956
कुल	11,67,927	41,88,004	40,93,744	12,62,187	94,259

*31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार पर अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण कुल देयता ₹95,34,33 करोड़ है। इसमें से ₹16,183 करोड़ संचयी घाटा है, विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में ₹2,78,798 करोड़, विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ₹35,000 करोड़ का निवेश किया गया और पोलिफ से संबंधित ₹1,46,083 करोड़ का निवेश निजी फंड प्रबंधकों के साथ किया गया जिससे इस मद में बकाया निवल देयता ₹4,77,369 करोड़ होती है।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय - समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प-बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडलों वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण (निवल) ₹3,38,986 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय (इसके निवेशों पर) और व्यय क्रमशः ₹2,48,510 और ₹2,55,921 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹3,40,393 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष राशि जो कि वर्ष के आरंभ में ₹13,603 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में घटकर ₹4,785 करोड़ हो गई।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)					
विवरण	1 अप्रैल, 2024	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2025	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	31,47,690	17,59,205	11,71,709	37,35,186	5,87,495
संग्रहण	31,47,690	15,10,695	11,71,709	34,86,676	3,38,986
बचत जमा	16,71,856	12,12,795	10,10,038	18,74,613	2,02,757
बचत प्रमाण-पत्र	4,24,458	1,28,671	98,515	4,54,614	30,156
लोक भविष्य निधि	10,51,376	1,69,229	63,156	11,57,449	1,06,073
निवेश से आय	-	2,48,510	-	2,48,510	2,48,510
बहिर्वाह	31,34,087	4,42,920	10,39,234	37,30,401	5,96,314
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	31,34,087	4,42,920	7,83,313	34,74,480	3,40,393
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	27,31,180	3,40,485	7,69,987	31,60,682	4,29,502
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3,17,907	52,435	13,326	2,78,798	-39,110
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	85,000	50,000	-	35,000	-50,000
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय	-	-	2,55,921	2,55,921	2,55,921
शेष	13,603	13,16,285	1,32,475	4,785	-8,819

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अभिदाताओं के संबंध में, निधि के कुल स्टॉक में ₹34,86,676 करोड़ की देयताएं थी, जिनमें से ₹18,74,613 करोड़ बचत जमाओं के तहत, ₹4,54,614 करोड़ बचत प्रमाण-पत्रों के तहत और ₹11,57,449 करोड़ सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2024-25 के अंत में निधियों का निवेश ₹34,74,480 करोड़ था, जिसमें से, ₹2,78,798 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹31,60,682 करोड़ केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹35,000 करोड़ अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करें, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबंध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर किसी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उसकी शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपकरणों की आपूर्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने के स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाता होता है।

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था, ₹3,74,432 करोड़ थी और ₹3,33,455 करोड़ की कुल गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2024-25 के लिए गारंटियों की निवल वृद्धि ₹6,543 करोड़ है जोकि जीडीपी का 0.02% है। सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में वर्ष 2023-24 के ₹1,358 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1,079.75 करोड़ प्राप्त हुए।

सरकार की गारंटियां				
(₹ करोड़)				
	विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-25	वृद्धि/कमी
I	भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को मूलधन और ब्याज आदि के पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां।	58,755	55,838	-2,917
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों को शेयर पूंजी के पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश के अदायगी, बांडों/ऋणों की अदायगी आदि के लिए गारंटियां।	91,300	1,01,233	9,933
III	मूलधन की पुनर्अदायगी, ऋण आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति संबंधी करारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋणदाता विदेशी एजेंसियों सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां।	1,62,230	1,76,384	14,154
IV	कंपनियों/निगमों को आपूर्ति के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्र के लिए बैंकों को प्राति-गारंटियां।	-	-	-
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	-	-	-
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी।	14,627	-	-14,627
VII	कोई अन्य	-	-	-
	कुल	3,26,912	3,33,455	6,543

विनियोग लेखे

वर्ष 2024-25 के लिए संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 98 अनुदानों के अंतर्गत ₹1,26,97,949 करोड़ के कुल प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹7,49,237 करोड़ के पूरक अनुदान के माध्यम से बढ़ाकर ₹1,34,47,186 कर दिया गया। अंतिम प्रावधान ₹1,34,47,186 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹27,862 करोड़ (0.21%) कम था।

इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹1,29,99,385 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹99,76,833 करोड़ था जिसमें ₹68,939 करोड़ की बचत शामिल है, जबकि स्वीकृत हिस्से के अंतर्गत व्यय ₹30,22,552 करोड़ था, जिसमें ₹3,78,862 करोड़ की बचतें शामिल हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार					
	मूल प्रावधान	अंतिम प्रावधान	अंतर	वास्तविक व्यय	अंतर
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)=(4)-(2)
प्रभारित	94,91,117	1,00,45,772	5,54,655	99,76,833	(-) 68,939
स्वीकृत	32,06,832	34,01,414	1,94,582	30,22,552	(-) 3,78,862
कुल	1,26,97,949	1,34,47,186	7,49,237	1,29,99,385	(-) 4,47,801

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 23% था, शेष 77% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से 'ऋण की पुनर्अदायगी' (₹85,00,779 करोड़), ब्याज अदायगी (₹11,64,271 करोड़) और राज्यों की सरकारों को अंतरण (₹3,04,752 करोड़) था। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.93% होते हैं। विनियोग - "ऋण की पुनर्अदायगी" में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹74,91,516 करोड़ की राशि शामिल है।

बचत

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹4,47,801 करोड़ की बचत सिविल अनुदानों/विनियोगों में हुई।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		वर्ग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	10486	कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
13	दूरसंचार विभाग	राजस्व स्वीकृत	8090	वेतन एवं भत्तों, पुरस्कारों, अन्य स्थापना संबंधी व्यय तथा पेंशन प्रभागों, आर एंड डी के लिए परियोजना प्रतिपूर्ति, यूएसओएफ स्कीम/परियोजना, पेंशनरी प्रभागों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, प्रोत्साहन के कम दावे की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
		पूंजीगत स्वीकृत	15155	भारत निवल योजना/परियोजना में कम निधि की जरूरत होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान कटौती के कारण।
15	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	राजस्व स्वीकृत	5375	ओएमएमएस बिक्री, राज्यों से कम बिल प्राप्त होने और भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति पर नियंत्रण करने के कारण।
		पूंजीगत स्वीकृत	25559	अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्अदायगी शर्तों में शिथिलता का मूर्त रूप न लेने के कारण।
25	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	9890	आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों के लिए राज्य सरकार सरकार से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
27	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	8011	औद्योगिक इकाइयों से प्रस्ताव/दावे प्राप्त/प्राप्त न होने, स्कीम की आधारभूत संरचना का पूरा न होने और साइबर सुरक्षा परियोजनाओं का पूरा न होने के कारण।
30	आर्थिक कार्य विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	59940	सिक्कों के उचित बिक्री मूल्य (एफएसपी) का मूर्त रूप न लेने, कुछ परियोजना संबंधी अनुमोदनों और अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निधियों के आवंटन में विलंब की वजह से कम निवेश होने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		वर्ग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
35	राजस्व विभाग	राजस्व स्वीकृत	5581	राज्यों को जी एस टी मुआवजे के लिए कम मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होने के कारण।
39	ब्याज का भुगतान	राजस्व प्रभारित	44570	प्रतिभूतियों की अदला-बदली/बायबैक, और वित्तीय वर्ष के आखिरी तीन दिनों में छुट्टियों के कारण ब्याज भुगतान का नहीं हो पाना - इन कारणों से बिलों के जरिए उधार कम लिया गया, और बॉन्ड धारकों ने परिपक्व हो चुके बॉन्ड के भुगतान के लिए भी कम ही दावे पेश किए गए।
40	ब्याज का पुनर्भुगतान	पूंजीगत प्रभारित	11701	182-दिवसीय ट्रेजरी बिलों के माध्यम से उधार में कटौती करने, सरकारी लेखे में अतिरिक्त नकदी की उपलब्धता होने के कारण रोकड प्रबंधन बिलों का जारी नहीं होने, विदेशी ऋण खातों से चल रहे ऋणों का कम आहरण करने, और पिछले वर्ष 1-4-99 से छोटी बचत की निवल प्राप्तियों के मद्दे जारी की गई विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में कम निवेश होने के कारण।
42	राज्यों को अंतरण	राजस्व प्रभारित	11520	राज्य सरकारों द्वारा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने से, नोडल मंत्रालयों की अनुशंसाएँ प्राप्त नहीं होने के कारण।
		राजस्व स्वीकृत	24593	राज्य सरकारों द्वारा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने से, नोडल मंत्रालयों की अनुशंसाएँ प्राप्त नहीं होने के कारण।
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	32191	शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग का त्वरित मूल्यांकन करने और एकीकृत वेब-पोर्टल पर विवरण अपलोड करने जैसे प्रारंभिक कार्यकलापों के पूरा नहीं होने तथा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण।
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग	राजस्व स्वीकृत	51132	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण - जिसकी वजह से, निधियों को जारी करने हेतु राज्यों को 'ई-कुबेर' प्रणाली पर जोड़ने (onboarding) में हुई देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलनों के चरण में प्रावधान में कटौती हुई।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		वर्ग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
64	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	11078	योजना - नई रोजगार सृजन योजना - को मंजूरी न मिल पाने, 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के तहत मौजूदा लाभार्थियों से मांग प्राप्त नहीं होने, 'असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस' योजनाओं के तहत राज्यों से अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए कम संख्या में दावे प्राप्त होने, और पोर्टल के रखरखाव तथा अन्य कार्यकलापों के लिए एन आई सी से कम मांग प्राप्त होने के कारण।
68	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	12437	एन पी ए के मद्दे राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास निधियों की उपलब्धता होने के कारण, गारंटी आपातकालीन ऋण (जी ई सी एल) सुविधा के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता व्यक्त नहीं किए जाने के कारण।
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	9316	पी जी सी आर टी योजना के लिए ऊपरी सीमा (सीलिंग) निर्धारित किए जाने, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन के चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	पूँजीगत स्वीकृत	5731	राष्ट्रीय निवेश निधि में निधियों के कम अंतरण के कारण, संशोधित प्राक्कलन के चरण में वित्त पोषण के स्रोत को 'सकल बजटीय सहायता' से बदलकर 'केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि' कर दिया गया है।
87	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	12517	एम जी एन आर ई जी ए योजना के मांग-आधारित होने के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, टेंडर को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण काम की धीमी गति और आम चुनाव 2024 के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण।

₹ करोड़ और अधिक की बचतों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 10 में संलग्न हैं।

शब्दावली

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151 (1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां ‘कार्य का आवंटन नियमावली’ के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

सरकार के पास संसद के प्राधिकार के बिना अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि भी रखी जाती है। वर्ष 2021-22 में आकस्मिकता निधि में वृद्धि होकर यह ₹500 करोड़ से ₹30,000 करोड़ हो गई है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,
- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन-देने) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और
- (ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान में परिवर्तित करना आदि)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसंपत्तियों को मूल्यहासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसंपत्तियों का जीवन समाप्त होने पर उनकी हानियों तथा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व लेखे पर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत लेखे पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के निवेश से हुई आय भी शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप को ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसमें अचल परिसंपत्तियों, मशीनरी और उपकरण तथा सरकारी इक्विटी निवेश के अर्जन पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात् ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनियम दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात् “8680 - विविध सरकार लेखे” को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य के रूप में जाना जाता है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित ‘भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक’ के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं

कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात् उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यतः बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों का अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं – सामान्य और विशेष।

बजट प्रावधान (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान)

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन, आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियां को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्अदायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कर्ज जारी किए जाने सहित अपने कार्य के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6 - स्तरीय सौपानिक ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों (जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर संवैधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए (जैसे वेतन, कार्यालय व्यय)

व्यय लेनदेनों को 'योजना' और 'गैर-योजना' अथवा 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और साथ हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अलग सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जाने वाली हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उच्चतम और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अल्प बचत
- आरक्षित निधियां
- जमा और अग्रिम
- उच्चतम और विविध
- प्रेषण
- रोकड़ शेष

परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश	40
2. करेतर राजस्वों का विवरण	42
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	43
4. मुख्य स्कीमों पर व्यय	44
5. वर्ष 2024-25 में प्रमुख मदों पर व्यय	46
6. वेतन और भत्तों का व्यय	48
7. सहायिकियों का विवरण	56
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	59
9. ब्याज-युक्त बाजार ऋणों का परिपक्वता ब्यौरा	74
10. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत/अधिक व्यय वाले अनुदान/विनियोग	75
11. विनियोग लेखे 2024-25 का सारांश	81
12. वस्तु शीर्षवार व्यय 2024-25	90

परिशिष्ट-1

दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	11,95,025	13,75,956	14,35,078	15,53,011	16,84,059	16,33,919	21,69,906	23,83,207	27,29,036	30,37,970
सकल कर राजस्व	14,49,958	17,09,372	19,15,492	20,78,665	20,07,579	20,27,104	27,09,315	30,54,192	34,65,519	37,86,924
निगम कर	4,53,229	4,84,924	5,71,202	6,63,572	5,56,876	4,57,719	7,12,037	8,25,834	9,11,055	9,86,766
वस्तु और सेवा कर			4,42,561	5,81,559	5,98,729	5,48,778	6,98,114	8,49,132	9,57,215	10,27,041
आयकर	2,80,323	3,40,505	4,08,091	4,61,488	4,80,097	4,87,143	6,96,243	8,33,260	10,44,240	12,34,663
सीमा शुल्क	2,10,338	2,25,370	1,29,030	1,17,813	1,09,283	1,34,750	1,99,728	2,13,371	2,33,119	2,33,201
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,87,148	3,80,495	2,58,636	2,30,992	2,39,452	3,89,667	3,90,808	3,19,000	3,05,362	3,00,253
सेवा कर	2,11,414	2,54,499	81,228	6,904	6,029	1,615	1,012	431	425	(16)
केंद्र को निवल कर राजस्व	9,43,765	11,01,372	12,42,487	13,17,211	13,56,902	14,26,287	18,04,794	20,97,786	23,27,251	25,00,039
करेतर राजस्व	2,51,260	2,74,584	1,92,591	2,35,800	3,27,157	2,07,632	3,65,112	2,85,421	4,01,785	5,36,580
ब्याज प्राप्तियां	25,378	16,229	13,574	12,145	12,349	17,113	21,874	27,852	38,261	41,081
लाभांश और लाभ	1,12,127	1,23,017	91,360	1,13,420	1,86,133	96,878	1,60,647	99,914	1,70,877	3,08,424
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्ति	62,975	65,513	1,15,678	1,12,684	68,620	57,626	39,375	72,196	59,768	41,818
विनिवेश आय	1,249	2,921	2,802	4,449	9,010	1,725	2,936	475	1,638	50
व्यय	17,90,783	19,79,268	21,41,818	23,15,113	26,86,870	35,09,836	37,93,800	41,93,157	44,43,447	46,52,867
योजना व्यय	4,71,083	5,68,599	0	0	0	0	0	0	-	-
गैर योजना व्यय	14,10,669	14,10,669	0	0	0	0	0	0	0	-
राजस्व व्यय	15,37,761	16,92,986	18,78,679	20,07,399	23,50,605	30,83,519	32,00,926	34,53,132	34,94,252	36,02,265
पूंजीगत व्यय	2,53,022	2,86,282	2,63,139	3,07,714	3,36,265	4,26,317	5,92,874	7,40,025	9,49,195	10,51,953
उधार ऋणात्मक पुर्नअदायगी	5,394	19,040	11,497	24,411	26,495	2,19,922	2,07,256	1,05,785	74,336	66,681
राजकोषीय घाटा	5,32,783	5,37,799	5,91,062	6,49,418	9,34,191	18,18,291	15,84,519	17,37,754	16,54,643	15,74,431

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा	3,42,736	3,17,030	4,43,601	4,54,388	6,66,546	14,49,600	10,31,020	10,69,925	7,65,216	5,64,296
प्रभावी राजस्व घाटा	2,11,781	1,50,470	2,51,081	2,63,168	4,79,204	12,27,209	7,88,374	7,63,661	4,61,300	2,91,520
प्रारंभिक घाटा	91,124	57,085	62,110	66,770	3,22,121	11,38,422	7,79,020	8,09,237	5,90,771	4,58,856
लोक ऋण (शेष)	57,11,425	61,49,817	68,46,557	75,49,380	85,64,884	1,05,24,371	1,21,20,677	1,38,22,188	1,54,94,255	1,68,00,249
आंतरिक ऋण	53,04,836	57,41,709	64,01,275	70,74,942	80,20,490	99,09,543	1,14,62,343	1,30,73,732	1,46,98,177	1,59,25,949
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	4,06,589	4,08,108	4,45,282	4,74,439	5,44,394	6,14,828	6,58,334	7,48,456	7,96,078	8,74,300
भारत सरकार की अन्य देयताएं	7,11,608	7,56,448	8,06,929	8,82,119	8,79,324	10,49,428	10,21,211	10,86,146	11,69,948	12,62,187
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	13576000	15183709	16773000	19010000	20340000	19746000	23665000	2,72,41,000	3,01,23,000	3,30,68,000
सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत										
राजस्व प्राप्ति	8.80	9.06	8.56	8.17	8.28	8.27	9.17	8.75	9.06	9.19
सकल कर राजस्व	10.68	11.26	11.42	10.93	9.87	10.27	11.45	11.21	11.50	11.45
वस्तु एवं सेवा कर			2.64	3.06	2.94	2.78	2.95	3.12	3.18	3.11
करतर राजस्व	1.85	1.81	1.15	1.24	1.61	1.05	1.54	1.05	1.33	1.62
व्यय	13.19	13.04	12.77	12.18	13.21	17.77	16.03	15.39	14.75	14.07
राजस्व व्यय	11.33	11.15	11.20	10.56	11.56	15.62	13.53	12.68	11.60	10.89
पूंजीगत व्यय	1.86	1.89	1.57	1.62	1.65	2.16	2.51	2.72	3.15	3.18
राजकोषीय घाटा	3.92	3.54	3.52	3.42	4.59	9.21	6.70	6.38	5.49	4.76
राजस्व घाटा	2.52	2.09	2.64	2.39	3.28	7.34	4.36	3.93	2.54	1.71
प्रभावी राजस्व घाटा	1.56	0.99	1.50	1.38	2.36	6.21	3.33	2.80	1.53	0.80
लोक ऋण	42.07	40.50	40.82	39.71	42.11	53.30	51.22	50.74	51.44	50.81
आंतरिक ऋण	39.08	37.81	38.16	37.22	39.43	50.19	48.44	47.99	48.79	48.16
बाह्य ऋण	2.99	2.69	2.65	2.50	2.68	3.11	2.78	2.75	2.64	2.64

परिशिष्ट-2

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

	विवरण	2024-25			2023-24		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क	ब्याज प्राप्तियां सकल घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां ब्याज का अधित्याग निवल लाभांश और लाभ ग संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व घ अन्य करेतर राजस्व	83,272.49 47,230.63 2,000.00 34,041.86 2,89,284.60 3,070.28	91,776.44 49,341.54 2,000.00 40,434.90 3,08,424.29 2,828.40	110 104 100 119 107 92	70,504.85 37,113.44 1,613.41 31,778.00 1,54,407.00 2,525.71	78,652.02 38,778.00 1,613.41 38,260.61 1,70,876.97 3,065.66	112 104 100 120 111 121
ख	1. राजकोषीय सेवाएं - अन्य सामान्य सेवाएं घटाएं - वाणिज्यिक विभाग घटाएं - गारंटी शुल्क की माफी घटाएं - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	1,473.82 53,726.84 30,700.00 556.37	2,056.00 57,401.29 29,545.41 169.76	140 107 96 31	1,769.59 52,509.46 26,125.00 325.72	1,858.12 56,002.32 28,420.57 239.48	105 107 109 74
ग	2. निवल सामान्य सेवाएं 3. सामाजिक सेवाएं - आर्थिक सेवाएं - सकल घटाएं- वाणिज्यिक विभाग घटाएं - ऋण माफी घटाएं - गेट प्राप्तियां 4. निवल आर्थिक सेवाएं निवल कुल - अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4) सहायता अनुदान और अंशदान	1,000.00 21,470.47 6,426.34 1,94,228.53 20,163.66 0.00 8.00 1,74,056.87 2,03,427.50 1,175.76	0.00 27,686.12 6,873.84 1,67,224.00 18,925.12 705.86 3.48 1,47,589.54 1,84,205.50 686.66	0 129 107 86 94 0 44 85 91 58	1,000.00 25,058.74 6,080.25 1,71,258.88 18,403.95 105.09 16.00 1,52,733.84 1,85,642.42 1,441.87	0.00 27,342.27 7,669.80 1,69,623.17 17,816.69 105.09 2.22 1,51,699.17 1,88,569.43 1,012.74	0 109 126 99 97 100 14 99 102 70
जोड़		5,31,000.00	5,36,579.75	101	3,75,795.00	4,01,785.34	107

वाणिज्यिक प्राप्तियां

विवरण	2024-25			2023-24		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
सामान्य सेवाएं						
1. कैटीन स्टोर डिपो	30,700.00	29,545.41	96.24	26,125.00	28,420.57	108.79
आर्थिक सेवाएं						
2. दिल्ली दुग्ध योजना	175.00	116.34	66.48	270.00	141.94	52.57
3. अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	287.58	229.55	79.82	270.00	226.05	83.72
4. ईंधन निर्माण सुविधाएं	2,985.05	3,032.85	101.60	2,987.62	2,999.43	100.40
5. ईंधन माल सूची	4,059.02	3,696.00	91.06	3,073.29	2,702.00	87.92
6. भारी पानी पूल प्रबंधन	2,000.00	2,000.00	100.00	1,550.00	1,550.00	100.00
7. प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	450.00	425.13	94.47	395.00	425.91	107.83
8. डाक प्राप्तियां	12,207.01	11,425.25	93.60	11,408.04	11,321.36	99.24
9. भारतीय रेल	2,79,000.00	2,65,678.08	95.23	2,58,600.00	2,56,093.42	99.03
जोड़	3,31,863.66	3,16,148.61	95.26	3,04,678.95	3,03,880.68	99.74

परिशिष्ट-4

2024-25 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं

(₹ करोड़)

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 संशोधित अनुमान	2024-25 वास्तविक
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	7553.00 14600.00 60000.00	6000.00 15864.00 63500.00	5611.60 14473.46 66121.20
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के सुदृढीकरण के लिए फ्लैक्सिबल पूल, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) समग्र शिक्षा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान सक्षम आंगनवाणी और पोषण 2.0 मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा और बाल कल्याण) मिशन शक्ति	28783	28783	31685.06
3	आयुष		2200.00	1736.00	1680.53
4	शिक्षा		2892.00 7300.00 1200.00 37500.00	3000.00 7606.00 1046.00 37010.00	2524.00 6982.80 1137.66 35001.58
5	महिला एवं बाल विकास		12467.00 1815.00 21014.00 1472.00 3146.00	10000.00 895.00 21960.00 1391.00 1451.00	9903.00 301.00 21014.00 1406.00 1835.00

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 संशोधित अनुमान	2024-25 वास्तविक
6	आवासन और शहरी कार्य	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) मेट्रो परियोजनाएं शहरी कायाकल्प मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छ भारत मिशन - शहरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन/जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्वच्छ भारत मिशन- (ग्रामीण) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	30171.00 15047.00 21336.00 8000.00 2400.00 5000.00 86000.00 2501.00 9652.00 54500.00 19000.00 70163.00 7192.00 3995.00	13670.00 15047.00 24691.00 6000.00 2129.00 2159.00 86000.00 1800.00 9652.00 32426.00 14500.00 22694.00 7192.00 3948.00	5865.00 29.00 24689.00 5647.00 2126.00 1893.00 85833.98 1083.47 9652.00 32326.57 13370.92 22615.04 3613.29 2601.51
7	ग्रामीण विकास				
8	पेयजल एवं स्वच्छता				
9	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन				
10	जल शक्ति	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमएसकेवाई)	8250.00	6621.00	6018.33
11	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	1996.00	2525.00	2564.15
12	सड़क और परिवहन	सड़क निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	115093.00 168464.00	110576.00 169371.00	130609.58 168601.28

वर्ष 2024-2025 में प्रमुख मदों पर व्यय

परिशिष्ट-5

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	प्रकार	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक
पेंशन	राजस्व	275103	273720
रक्षा	राजस्व	297222	290964
	पूँजीगत	159500	159768
सब्सिडी			
उर्वरक	राजस्व	171299	170683
खाद्य	राजस्व	197420	199867
पेट्रोलियम	राजस्व	14700	14479
कृषि तथा संबद्ध कार्याकलाप	राजस्व	140499	137448
	पूँजीगत	360	281
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	राजस्व	1437	1047
	पूँजीगत	2569	2323
शिक्षा	राजस्व	114044	110731
	पूँजीगत	9	5
ऊर्जा	राजस्व	49429	51180
	पूँजीगत	13974	13871
स्वास्थ्य	राजस्व	85468	86014
	पूँजीगत	2565	2339
ब्याज अदायगी	राजस्व	1137940	1115575
संघ राज्य क्षेत्रों सहित गृह मामले	राजस्व	204323	207743
	पूँजीगत	16049	16842
परिवहन	राजस्व	15459	21434
	पूँजीगत	525925	538727

मद	प्रकार	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक
सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार	राजस्व	42517	38245
	पूंजीगत	75352	74172
ग्रामीण विकास	राजस्व	190646	189993
	पूंजीगत	29	19
शहरी विकास	राजस्व	32008	21632
	पूंजीगत	31662	31623
कर प्रशासन	राजस्व	49308	47877
	पूंजीगत	5219	4520
जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण		153440	150377
वित्त	राजस्व	50126	47551
	पूंजीगत	13387	10665
वैज्ञानिक विभाग	राजस्व	23856	22428
	पूंजीगत	5974	5089
समाज कल्याण	राजस्व	46432	45757
	पूंजीगत	50	48
वाणिज्य एवं उद्योग	राजस्व	45770	35690
	पूंजीगत	10732	10799
विदेश मामले	राजस्व	23602	23909
	पूंजीगत	1675	1604
आरक्षित निधि में शुद्ध अंतरण	राजस्व	39400	39400
अन्य	राजस्व	296610	257170
	पूंजीगत	153398	179258
जोड़	राजस्व	3698058	3600914
	पूंजीगत	1018429	1051953

परिशिष्ट-6
(₹ करोड़)

वर्ष 2024-25 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
1	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	185.62
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	5.87
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	
4	परमाणु ऊर्जा विभाग	4,275.11
5	परमाणु ऊर्जा	
6	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	33.23
7	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	
8	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	21.49
9	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	28.7
10	उर्वरक विभाग	17.95
11	औषध विभाग	
12	नागर विमानन मंत्रालय	218.34
13	नागर विमानन मंत्रालय	
14	कोयला मंत्रालय	31.93
15	कोयला मंत्रालय	
16	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	485.64
17	वाणिज्य विभाग	350.59
18	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
12	संचार मंत्रालय	22127.65
13	डाक विभाग	609.74
	दूरसंचार विभाग	
14	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	96.81
15	उपभोक्ता मामले विभाग	87.11
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
16	सहकारिता मंत्रालय	19.9
	सहकारिता मंत्रालय	
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	184.55
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
18	संस्कृति मंत्रालय	504.35
	संस्कृति मंत्रालय	
19	रक्षा मंत्रालय	10,257.63
	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	
20	रक्षा मंत्रालय (रक्षा सेवा राजस्व)	1,85,753.02
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	30.73
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
24	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	595.27
	शिक्षा मंत्रालय	
25	स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग	35.91
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	115.84

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
27	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1,018.87
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	362.88
29	विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय	2,933.49
30	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	139.56
31	व्यय विभाग	165.5
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	133.24
33	लोक उद्यम विभाग	12.58
34	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	13.87
35	राजस्व विभाग	561.12
36	प्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी	6,077.39
37	अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी	7,362.63
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	5,288.23
43	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग	70.02
44	पशुपालन और डेयरी विभाग	112.84

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	22.74
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	3,877.6
47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	5.33
48	भारी उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	25.81
49	गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय	2,212.04
50	मंत्रिमंडल	173.16
51	पुलिस	1,14,927.36
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,744.38
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	360.32
62	जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	877.94
63	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	20.08
64	श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय	463.83

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
65	विधि और न्याय मंत्रालय	222.75
66	विधि और न्याय	83.54
67	निर्वाचन आयोग	371.31
	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	
68	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	162.01
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
	खान मंत्रालय	
69	खान मंत्रालय	1033.18
70	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	82.81
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	36.1
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
	पंचायती राज मंत्रालय	
72	पंचायती राज मंत्रालय	14.63
	संसदीय कार्य मंत्रालय	
73	संसदीय कार्य मंत्रालय	16.54
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
74	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	1,092.44
75	केंद्रीय सतर्कता आयोग	36.89
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
76	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	35.3

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
77	योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय	73.09
78	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	174.72
79	विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय	165.01
80	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय	49.1
81	लोक सभा	497.92
82	राज्य सभा	284.42
83	उप-राष्ट्रपति सचिवालय	4.84
84	संघ लोक सेवा आयोग	145.68
85	रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय	1,03,573.12
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	116.87
87	ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग	59.47
88	भू-संसाधन विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	13.63
89	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	408.44

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
90	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	31.13
91	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	12.28
92	कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय	145.51
	कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय	
93	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	63.74
94	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	15.79
	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	
95	अंतरिक्ष मंत्रालय	2,740.04
	अंतरिक्ष विभाग	
96	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	540.53
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
	इस्पात मंत्रालय	
97	इस्पात मंत्रालय	29.55
	वस्त्र मंत्रालय	
98	वस्त्र मंत्रालय	204.64
	पर्यटन मंत्रालय	
99	पर्यटक मंत्रालय	35.28
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
100	जनजातीय कार्य मंत्रालय	29.35

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
101	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	37.82
102	युवा मामले और खेल मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय	36.68
52	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,388.34
53	चंडीगढ़	2,774.28
54	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	519.22
55	लद्दाख	1,586.07
56	लक्षद्वीप	413.16
	जोड़	4,95,393.01

परिशिष्ट-7

सहायिकियों का विवरण (2024-25)

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य सहायिकियां -----					
खाद्य सहायिकी	15	2408	205250.01	197420.00	199867.09
उर्वरक सहायिकी			163999.80	171298.50	170682.96
क. यूरिया सहायिकी	6	2852	118999.80	118999.50	117872.96
ख. पोषक तत्व आधारित सहायिकी	6	2401	45000.00	52310.00	52810.00
पेट्रोलियम सहायिकी			11925.01	14700.01	14479.01
एलपीजी सहायिकी	75	2802	11925.01	14700.01	14479.01
कुल मुख्य सहायिकी			381174.82	383418.51	385029.06
ब्याज सहायिकियां -----					
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए क्रेडिट संबद्ध सहायिकी स्कीम	60	2216	3000.00	-	-
आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायिकी	32	2885	0.01	-	-
वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए भारतीय बीमा निगम को ब्याज सहायिकी	32	2235	134.96	101.15	101.16
ब्याज समानीकरण योजना	10	3453	1700.00	2482.00	2482.00
एमआईजी के लिए ऋण सहायिकी स्कीम - II (आईएसएस - II)	60	2216	-	500.00	15.00

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए ऋण संबंध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)- II	59	2216	1000.00	-	-
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत ब्याज सहायिकी	86	2216	0.01	0.01	-
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना	32	2235	-	507.22	507.22
ऋण सहायता कार्यक्रम	68	2851	0.04	-	-
अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायिकी	69	2235	15.30	15.30	-
संशोधित ब्याज छूट स्कीम	1	2851	22600.00	22600.00	17811.72
ईडल्यूएस/एलआईजी के लिए ऋण सहायिकी स्कीम - I (आईएसएस - I)	60	2216	-	1000.00	35.00
राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज सहायिकी	79	2801	500.00	200.00	207.74
कृषि अवसरचना निधि	1	2401, 2552	600.00	750.00	725.34
गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना	32	2885	0.01	-	-
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को शिशु ऋण (सब्सिडी) के शीघ्र भुगतान के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट पर सब्सिडी	32	2885	0.01	-	-
कुल ब्याज सहायिकियां			29626.51	28185.68	21885.18

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
अन्य सहायिकियां ----- कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य समर्थन स्कीम (एमआईएस-पीएसएस) परिवहन/भाड़ा सहायिकी स्कीम मूल्य स्थिरीकरण कोष बाजार प्रचालन के लिए जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायिकी मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन नीति जहाज निर्माण, अनुसंधान और विकास में सहायता जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों हेतु पैकेज एथनॉल का उत्पाद बढ़ाने एवं उसमें वृद्धि के लिए चीनी संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1 11 15 98 - 11 78 11 15 1 -	2401, 2552 2885 3456 2852 - 2885 2852 2885 2408 2401, 3601, 2552 -	- - 10000.00 30.00 - 80.00 100.00 0.01 450.00 6437.50 -	75.13 1.30 7000.00 32.25 - 80.00 150.00 - 600.00 6437.50 1918.00	22.59 122.48 6970.94 31.13 - 79.97 149.25 0.95 599.95 5437.99 2277.00
कुल-अन्य सहायिकियां			18147.51	16294.19	15692.25

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2024-25

(दर्शाए गए आंकड़े और प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण राजस्व पूंजीगत	131195.21 131076.58 118.63	129933.47 129858.28 75.19
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा राजस्व पूंजीगत	10156.35 10152.53 3.82	9810.52 9807.37 3.15
3	परमाणु ऊर्जा राजस्व पूंजीगत	24450.66 11954.08 12496.58	25092.57 12692.24 12400.33
4	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) राजस्व पूंजीगत	3497.64 3483.99 13.65	3312.05 3299.71 12.34
5	रसायन और पेट्रो रसायन राजस्व पूंजीगत	261.99 139.70 122.29	226.01 104.65 121.36
6	उर्वरक राजस्व पूंजीगत	183003.29 182987.93 15.36	181793.38 181785.32 8.06

लेखे एक नज़र में

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
7	औषध निर्माण राजस्व पूंजीगत	3387.96 3347.77 40.19	2973.33 2933.34 39.99
8	नागर विमानन राजस्व पूंजीगत	2658.68 2556.94 101.74	2600.64 2503.52 97.12
9	कोयला राजस्व पूंजीगत	141.21 139.01 2.20	135.67 133.51 2.16
10	वाणिज्य राजस्व पूंजीगत	5624.00 5557.64 66.36	5412.45 5367.76 44.69
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग राजस्व पूंजीगत	8011.00 6614.57 1396.43	7886.69 6489.22 1397.47
12	डाक राजस्व पूंजीगत	25792.64 24553.72 1238.92	26105.69 24915.20 1190.49
13	दूरसंचार राजस्व पूंजीगत	124408.71 49413.42 74995.29	121726.64 47880.58 73846.06

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
14	उपभोक्ता मामले राजस्व पूंजीगत	7345.04 7275.70 69.34	7302.24 7239.86 62.38
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण राजस्व पूंजीगत	205474.97 205366.31 108.66	207706.49 207602.23 104.26
16	सहकारिता राजस्व पूंजीगत	749.78 746.90 2.88	736.10 733.85 2.25
17	कारपोरेट कार्य राजस्व पूंजीगत	1078.43 1023.33 55.10	679.91 638.01 41.90
18	संस्कृति राजस्व पूंजीगत	3260.93 3070.92 190.01	3244.79 3062.47 182.32
19	रक्षा (विविध) राजस्व पूंजीगत	26656.65 15672.00 10984.65	27616.45 16767.97 10848.48
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व) राजस्व पूंजीगत	297222.35 297222.35 0.00	290964.51 290964.51 0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय राजस्व पूंजीगत	159500.00 0.00 159500.00	159768.40 0.00 159768.40
22	रक्षा पेंशन राजस्व पूंजीगत	157681.00 157681.00 0.00	157653.65 157653.65 0.00
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राजस्व पूंजीगत	4006.00 1436.99 2569.01	3370.62 1047.41 2323.21
24	पृथ्वी विज्ञान राजस्व पूंजीगत	3632.78 2461.52 1171.26	3371.16 2371.83 999.33
25	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता राजस्व पूंजीगत	67571.20 67570.93 0.27	65159.25 65159.00 0.25
26	उच्चतर शिक्षा राजस्व पूंजीगत	46482.35 46473.79 8.56	45576.52 45571.68 4.84
27	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राजस्व पूंजीगत	17566.31 17209.75 356.56	13661.30 13335.46 325.84

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
28	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राजस्व पूँजीगत	3125.96 3032.71 93.25	2219.69 2130.60 89.09
29	विदेश मामले राजस्व पूँजीगत	25277.20 23602.02 1675.18	25512.38 23908.89 1603.49
30	आर्थिक कार्य राजस्व पूँजीगत	57907.81 45179.83 12727.98	53326.16 43274.82 10051.34
31	व्यय राजस्व पूँजीगत	530.93 477.38 53.55	486.85 439.37 47.48
32	वित्तीय सेवाएं राजस्व पूँजीगत	3924.84 3376.66 548.18	3685.15 3161.78 523.37
33	लोक उद्यम राजस्व पूँजीगत	26.72 26.08 0.64	21.81 21.17 0.64
34	निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन राजस्व पूँजीगत	70.48 68.96 1.52	38.76 37.97 0.79

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
35	राजस्व राजस्व पूंजीगत	155642.88 155167.14 475.74	152537.22 152087.54 449.68
36	प्रत्यक्ष कर-सीबीडीटी राजस्व पूंजीगत	11573.17 9202.35 2370.82	11432.81 9135.56 2297.25
37	अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी राजस्व पूंजीगत	40751.67 38379.28 2372.39	38801.61 37029.90 1771.71
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा राजस्व पूंजीगत	6242.57 6085.28 157.29	6197.40 6045.06 152.34
39	वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग) राजस्व पूंजीगत	1137940.29 1137940.29 0.00	1115574.60 1115574.60 0.00
40	वित्त-ऋण की पुनर्अदायगी राजस्व पूंजीगत	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
41	पेंशन राजस्व पूंजीगत	92720.00 92720.00 0.00	92279.49 92279.49 0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
42	वित्त-राज्यों का अंतरण राजस्व पूंजीगत	297686.31 158310.31 139376.00	298955.22 133254.05 165701.17
43	मत्स्यपालन राजस्व पूंजीगत	1666.47 1656.82 9.65	1024.99 1019.71 5.28
44	पशुपालन और डेयरी राजस्व पूंजीगत	3839.25 3612.11 227.14	2961.32 2763.31 198.01
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राजस्व पूंजीगत	2796.79 2793.78 3.01	2304.08 2302.10 1.98
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व पूंजीगत	86582.48 84032.75 2549.73	87300.19 84974.52 2325.67
47	स्वास्थ्य अनुसंधान राजस्व पूंजीगत	3391.64 3390.62 1.02	3383.93 3382.98 0.95
48	भारी उद्योग राजस्व पूंजीगत	4560.69 4558.89 1.80	2647.97 2646.42 1.55

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
49	गृह मंत्रालय राजस्व पूंजीगत	5936.88 5650.76 286.12	5672.45 5402.82 269.63
50	मंत्रिमंडल राजस्व पूंजीगत	1021.83 680.93 340.90	960.94 643.77 317.17
51	पुलिस राजस्व पूंजीगत	146832.50 136299.96 10532.54	146634.81 135073.71 11561.10
52	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजस्व पूंजीगत	5985.82 5579.75 406.07	5941.31 5539.36 401.95
53	चंडीगढ़ राजस्व पूंजीगत	5838.66 5367.68 470.98	5858.93 5409.74 449.19
54	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव राजस्व पूंजीगत	2648.97 1632.71 1016.26	2636.27 1632.93 1003.34
55	लद्दाख राजस्व पूंजीगत	4920.34 2420.34 2500.00	4857.05 2374.92 2482.13

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
56	लक्षद्वीप राजस्व पूंजीगत	1608.16 1392.15 216.01	1613.00 1397.40 215.60
57	दिल्ली को अंतरण राजस्व पूंजीगत	1248.01 968.01 280.00	1108.00 966.00 142.00
58	जम्मू और कश्मीर और अंतरण राजस्व पूंजीगत	41000.07 41000.07 0.00	46000.07 46000.07 0.00
59	पुदुचेरी को अंतरण राजस्व पूंजीगत	3330.00 3329.99 0.01	3302.36 3302.36 0.00
60	आवासन और शहरी कार्य राजस्व पूंजीगत	63669.93 32008.18 31661.75	53255.15 21632.38 31622.77
61	सूचना और प्रसारण राजस्व पूंजीगत	4626.71 4564.84 61.87	4301.83 4256.73 45.10
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राजस्व पूंजीगत	21640.88 21317.79 323.09	20866.66 20566.53 300.13

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
63	पेयजल और स्वच्छता राजस्व पूंजीगत	29916.68 29915.18 1.50	25853.24 25851.74 1.50
64	श्रम और रोजगार राजस्व पूंजीगत	18307.22 18268.93 38.29	11408.02 11375.64 32.38
65	विधि और न्याय राजस्व पूंजीगत	6653.56 6559.61 93.95	7189.58 7087.30 102.28
66	निर्वाचन आयोग राजस्व पूंजीगत	361.76 333.85 27.91	289.01 319.06 -30.05
67	भारत का उच्चतम न्यायालय राजस्व पूंजीगत	588.55 490.46 98.09	598.55 507.96 90.59
68	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व पूंजीगत	17306.70 16718.15 588.55	8230.96 7643.04 587.92
69	खान राजस्व पूंजीगत	3133.00 3086.84 46.16	3096.41 3050.41 46.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
70	अल्पसंख्यक कार्य राजस्व पूँजीगत	1868.18 1865.39 2.79	714.99 712.04 2.95
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राजस्व पूँजीगत	17298.44 17291.44 7.00	18626.65 18620.26 6.39
72	पंचायती राज राजस्व पूँजीगत	880.00 857.56 22.44	850.23 838.57 11.66
73	संसदीय कार्य राजस्व पूँजीगत	64.76 58.40 6.36	63.02 56.68 6.34
74	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राजस्व पूँजीगत	2576.15 2298.98 277.17	2501.32 2249.32 252.00
75	केन्द्रीय सतर्कता आयोग राजस्व पूँजीगत	51.31 49.69 1.62	48.44 46.84 1.60
76	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राजस्व पूँजीगत	17367.70 17026.84 340.86	16962.33 16621.78 340.55

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
77	योजना राजस्व पूँजीगत	1001.02 978.39 22.63	280.43 273.28 7.15
78	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय राजस्व पूँजीगत	2858.54 1516.15 1342.39	2837.58 1498.17 1339.41
79	विद्युत राजस्व पूँजीगत	19845.00 18718.45 1126.55	19713.79 18591.33 1122.46
80	राष्ट्रपति का सचिवालय राजस्व पूँजीगत	133.61 118.30 15.31	124.18 111.19 12.99
81	लोक सभा राजस्व पूँजीगत	855.35 813.46 41.89	695.54 669.72 25.82
82	राज्य सभा राजस्व पूँजीगत	416.89 401.89 15.00	412.04 399.68 12.36
83	सचिवालय - उप-राष्ट्रपति राजस्व पूँजीगत	12.99 12.68 0.31	10.97 10.68 0.29

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
84	संघ लोक सेवा आयोग राजस्व पूँजीगत	427.62 406.08 21.54	427.01 405.51 21.50
85	रेलवे राजस्व पूँजीगत	255347.81 3347.81 252000.00	255263.02 3316.46 251946.56
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग राजस्व पूँजीगत	280518.80 8037.84 272480.96	299460.36 14115.96 285344.40
87	ग्रामीण विकास राजस्व पूँजीगत	173912.11 173907.83 4.28	176654.76 176650.78 3.98
88	भू-संसाधन राजस्व पूँजीगत	1966.00 1964.99 1.01	2652.01 2651.14 0.87
89	विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्व पूँजीगत	5661.45 5588.09 73.36	5021.41 4957.19 64.22
90	जैव प्रौद्योगिकी राजस्व पूँजीगत	2460.13 2460.13 0.00	1971.67 1971.67 0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
91	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राजस्व पूंजीगत	6350.54 6348.69 1.85	6204.69 6203.39 1.30
92	कौशल विकास एवं उद्यमिता राजस्व पूंजीगत	3300.83 3240.85 59.98	2774.70 2688.69 86.01
93	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राजस्व पूंजीगत	10026.40 9986.40 40.00	9030.94 8995.15 35.79
94	दिव्यांगजन सशक्तीकरण राजस्व पूंजीगत	1167.27 1166.07 1.20	1083.91 1083.90 0.01
95	अंतरिक्ष राजस्व पूंजीगत	11725.75 6997.38 4728.37	10949.39 6923.93 4025.46
96	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राजस्व पूंजीगत	5333.89 5290.15 43.74	4019.27 3989.25 30.02
97	इस्पात राजस्व पूंजीगत	8561.00 131.64 8429.36	8539.07 109.77 8429.30

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
98	वस्त्र राजस्व पूंजीगत	3342.00 3299.52 42.48	2937.78 2895.36 42.42
99	पर्यटन राजस्व पूंजीगत	850.36 845.87 4.49	164.07 159.9 4.17
100	जनजातीय कार्य राजस्व पूंजीगत	10237.33 10235.22 2.11	10131.85 10129.80 2.05
101	महिला एवं बाल विकास राजस्व पूंजीगत	23182.98 23179.60 3.38	24842.49 24835.97 6.52
102	युवा कार्यक्रम और खेल राजस्व पूंजीगत	3232.85 3226.87 5.98	2710.73 2708.49 2.24
	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग		
	कुल	4716486.57	4652867.37
	राजस्व	3698057.46	3600914.19
	पूंजीगत	1018429.11	1051953.18

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा

परिशिष्ट-9

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

वर्ष	राशि
मार्च, 2026 तक परिपक्वता	378977.98
2026-27 में परिपक्वता	702209.53
2027-28 में परिपक्वता	589295.33
2028-29 में परिपक्वता	619609.39
2029-30 में परिपक्वता	651981.57
2030-31 में परिपक्वता	788710.02
2031-32 में परिपक्वता	792252.21
2032-33 में परिपक्वता	556806.47
2033-34 में परिपक्वता	698471.43
2034-35 में परिपक्वता	858444.27
2035-36 में परिपक्वता	474507.40
2036-37 में परिपक्वता	398107.63
2037-38 में परिपक्वता	172000.00
2038-39 में परिपक्वता	18644.63
2039-40 में परिपक्वता	229150.90
2040-41 में परिपक्वता	93015.68
2041-42 में परिपक्वता	91771.39
2042-43 में परिपक्वता	105699.94
2043-44 में परिपक्वता	118392.57
2044-45 में परिपक्वता	98958.74
2045-46 में परिपक्वता	98000.00
2046-47 में परिपक्वता	105500.13
2049-50 में परिपक्वता	84540.31
2050-51 में परिपक्वता	251858.14
2051-52 में परिपक्वता	211055.49
2052-53 में परिपक्वता	161966.57
2053-54 में परिपक्वता	195000.00
2054-55 में परिपक्वता	100000.00
2055-56 में परिपक्वता	100969.24
2059-60 में परिपक्वता	83461.95
2060-61 में परिपक्वता	353259.21
2061-62 में परिपक्वता	157283.50
2062-63 में परिपक्वता	156549.03
2063-64 में परिपक्वता	240000.00
2064-65 में परिपक्वता	239000.00
2073-74 में परिपक्वता	117000.00
2074-75 में परिपक्वता	50000.00
कुल	11142450.64

वर्ष 2024-25 के लिए ₹100 करोड़ और उससे अधिक की
बचत वाले अनुदान/विनियोग

परिशिष्ट-10

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
001	कृषि और किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	242563,62,00		232078,01,87		10485,60,13	
002	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	10152,53,00		10030,40,52		122,12,48	
003	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत	21771,68,00	16036,28,00	21594,25,51	15021,20,54	177,42,49	1015,07,46
004	आयुष मंत्रालय स्वीकृत	3703,75,00		3456,29,44		247,45,56	
007	औषण विभाग स्वीकृत	4088,70,00		2978,79,56		1109,90,44	
010	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	5575,04,00		5431,64,00		143,40,00	
011	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्वीकृत	6612,17,00		6504,58,67		107,58,33	
013	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	60957,16,00	94147,51,00	52867,14,01	78992,33,26	8090,01,99	15155,17,74
014	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	10293,50,00		7294,38,67		2999,11,33	
015	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	212976,24,00	50108,37,00	207601,15,49	24549,58,93	5375,08,51	25558,78,07
016	सहकारिता मंत्रालय स्वीकृत	1182,40,00		735,74,88		446,65,12	

लेखे एक नज़र में

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
017	कारपोरेट कार्य मंत्रालय						
019	स्वीकृत रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2641,97,00		668,57,80		1973,39,20	
023	स्वीकृत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		11099,47,00		10971,86,05		127,60,95
024	स्वीकृत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2040,69,00	3859,32,00	1100,28,06	2347,43,30	940,40,94	1511,88,70
025	स्वीकृत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2514,48,00	1173,67,00	2387,39,62	999,33,36	127,08,38	174,33,64
026	स्वीकृत उच्चतर शिक्षा विभाग	127874,39,00		117984,18,49		9890,20,51	
027	स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	63309,24,00		61751,09,35		1558,14,65	
028	स्वीकृत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	21355,90,00	581,01,00	13344,65,53	325,86,06	8011,24,47	255,14,94
029	स्वीकृत विदेश मंत्रालय	3885,40,00		2595,82,63		1289,57,37	
030	स्वीकृत आर्थिक कार्य विभाग		6058,61,00		3890,99,26		2167,61,74
032	स्वीकृत वित्तीय सेवाएं विभाग	46569,72,00	70962,60,00	43923,51,71	11022,47,75	2646,20,29	59940,12,25
035	स्वीकृत राजस्व विभाग	3376,66,00		3246,93,18		129,72,82	
037	स्वीकृत अप्रत्यक्ष कर	165054,06,00		159472,47,00		5581,59,00	
	स्वीकृत	38859,87,00	2372,39,00	37046,43,95	1771,76,63	1813,43,05	600,62,37

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
039	विनियोग-ब्याज अदायगियां						
040	प्रभारित विनियोग - ऋण की पुर्नअदायगी	1208841,36,00		1164271,05,67		44570,30,33	
041	प्रभारित पेंशन		8512479,77,00		8500778,90,15		11700,86,85
042	स्वीकृत राज्यों को अंतरण	93250,00,00		92895,68,18		354,31,82	
043	प्रभारित स्वीकृत मत्स्य पालन विभाग	132378,18,00	184000,00,00	120858,16,02	183893,56,75	11520,01,98	106,43,25
044	स्वीकृत पशुपालन और डेयरी विभाग	51802,61,00		27209,41,97		24593,19,03	
045	स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2597,45,00		1122,63,79		1474,81,21	
046	स्वीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4693,60,00		3451,23,65		1242,36,35	
048	स्वीकृत भारी उद्योग मंत्रालय	4016,49,00		2864,84,27		1151,64,73	
049	स्वीकृत गृह मंत्रालय	105939,11,00	3612,30,00	105422,94,46	2398,36,46	516,16,54	1213,93,54
050	स्वीकृत मांत्रिमंडल	7240,22,00		2685,00,28		4555,21,72	
051	स्वीकृत पुलिस	6073,00,00	385,29,00	5425,13,57	269,63,21	647,86,43	115,65,79
	स्वीकृत	1152,68,00		646,16,80		506,51,20	
		137608,69,00	13343,91,00	136373,78,32	11577,13,24	1234,90,68	1766,77,76

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
055	लद्दाख स्वीकृत	2892,12,00	3076,17,00	2408,67,68	2485,94,16	483,44,32	590,22,84
057	लक्षद्वीप स्वीकृत		317,10,00		215,64,94		101,45,06
057	दिल्ली को अंतरण						
060	स्वीकृत		280,00,00		142,00,00		138,00,00
060	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय						
061	स्वीकृत	53980,22,00	37606,59,00	21788,78,28	37143,96,27	32191,43,72	462,62,73
061	सूचना और प्रसारण मंत्रालय						
062	स्वीकृत	4567,71,00		4261,67,33		306,03,67	
062	जल संसाधन और नदी विकास विभाग						
063	स्वीकृत	29830,72,00	403,19,00	26311,41,43	300,18,58	3519,30,57	103,00,42
063	पेयजल और स्वच्छता विभाग						
064	स्वीकृत	77389,20,00		26257,15,82		51132,04,18	
064	श्रम और रोजगार मंत्रालय						
065	स्वीकृत	22481,88,00		11403,42,60		11078,45,40	
065	विधि और न्याय						
065	स्वीकृत	7482,71,00		7309,68,40		173,02,60	
068	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय						
070	स्वीकृत	21549,89,00		9112,41,68		12437,47,32	
070	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय						
071	स्वीकृत	3179,50,00		1393,06,15		1786,43,85	
071	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय						
072	स्वीकृत	32608,94,00		23292,79,71		9316,14,29	
072	पंचायती राज मंत्रालय						
072	स्वीकृत	1161,21,00		838,63,65		322,57,35	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
076	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	19126,84,00	1966,90,00	18721,78,12	1165,70,83	405,05,88	801,19,17
077	योजना मंत्रालय स्वीकृत	982,07,00		275,46,15		706,60,85	
078	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	2061,95,00		1958,62,88		103,32,12	
079	विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	20700,52,00		19892,19,47		808,32,53	
081	लोकसभा स्वीकृत	791,21,00		670,11,80		121,09,20	
086	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	21950,22,00	353392,12,00	21556,17,17	347660,74,26	394,04,83	5731,37,74
087	ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	282562,08,00		270044,85,08		12517,22,92	
088	भू-संसाधन विभाग स्वीकृत	5137,22,00		3711,93,24		1425,28,76	
089	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	7965,73,00		5058,13,39		2907,59,61	
090	जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	2460,13,00		1998,00,46		462,12,54	
092	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत	7095,28,00		5167,93,16		1927,34,84	
093	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वीकृत	13478,61,00		10373,20,79		3105,40,21	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
094	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग						
	स्वीकृत	1224,08,00		1112,60,41		111,47,59	
095	अंतरिक्ष विभाग						
	स्वीकृत	7474,63,00	5567,14,00	6987,77,30	4529,97,56	486,85,70	1037,16,44
096	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय						
	स्वीकृत	5408,85,00		3990,71,92		1418,13,08	
097	इस्पात मंत्रालय						
	स्वीकृत	324,20,00		109,76,99		214,43,01	
098	वस्त्र मंत्रालय						
	स्वीकृत	4373,40,00		2940,04,57		1433,35,43	
099	पर्यटन मंत्रालय						
	स्वीकृत	2483,13,00		453,18,18		2029,94,82	
100	जनजातीय कार्य मंत्रालय						
	प्रभारित	5012,44,00		4106,43,41		906,00,59	
	स्वीकृत	7959,58,00		6064,72,61		1894,85,39	
101	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय						
	स्वीकृत	26588,85,00		25022,96,17		1565,88,83	
102	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय						
	स्वीकृत	3435,86,00		2830,81,59		605,04,41	

2024-25 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ हजार)

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	242563,62,00	118,33,00	232078,01,87	75,18,63	10485,60,13	43,14,37	..	..
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	10152,53,00	6,50,00	10030,40,52	3,15,18	122,12,48	3,34,82	..	..
3 परमाणु ऊर्जा प्रभारित	8,13,00	..	1,13,80	..	6,99,20	..	..	..
स्वीकृत	21771,68,00	16036,28,00	21594,25,51	15021,20,54	177,42,49	1015,07,46	..	..
4 आयुष मंत्रालय स्वीकृत	3703,75,00	13,65,00	3456,29,44	12,34,40	247,45,56	1,30,60	..	..
5 रसायन और पेट्रोसायन विभाग स्वीकृत	1491,08,00	122,29,00	1486,38,68	121,36,06	4,69,32	92,94	..	..
6 उर्वरक विभाग स्वीकृत	191820,93,00	15,36,00	191816,11,58	8,06,12	4,81,42	7,29,88	..	..
7 औषध विभाग स्वीकृत	4088,70,00	40,26,00	2978,79,56	39,98,74	1109,90,44	27,26	..	..
8 नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	2556,94,00	101,74,00	2509,08,07	97,11,85	47,85,93	4,62,15	..	..
9 कोयला मंत्रालय स्वीकृत	920,35,00	2,20,00	848,72,13	2,15,86	71,62,87	4,14	..	..
10 वाणिज्य विभाग प्रभारित	63,02,00	..	62,49,38	..	52,62	..	..	..
स्वीकृत	5575,04,00	59,50,00	5431,64,00	44,80,08	143,40,00	14,69,92	..	..

लेखे एक नज़र में

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्वीकृत	6612,17,00	1404,39,00	6504,58,67	1397,47,29	107,58,33	6,91,71	..	..
13 दूरसंचार विभाग स्वीकृत	60957,16,00	94147,51,00	52867,14,01	78992,33,26	8090,01,99	15155,17,74	..	..
14 उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	10293,50,00	69,34,00	7294,38,67	62,38,07	2999,11,33	6,95,93	..	..
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग प्रभारित	1,35,00	..	1,17,16	..	17,84	..	..	..
स्वीकृत	212976,24,00	50108,37,00	207601,15,49	24549,58,93	5375,08,51	25558,78,07	..	..
16 सहकारिता मंत्रालय स्वीकृत	1182,40,00	2,88,00	735,74,88	2,24,55	446,65,12	63,45	..	..
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	2641,97,00	55,10,00	668,57,80	41,89,69	1973,39,20	13,20,31	..	..
18 संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	3135,94,00	190,03,00	3077,35,90	182,64,20	58,58,10	7,38,80	..	..
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) प्रभारित	4,56,00	45,00,00	2,66,08	28,48,45	1,89,92	16,51,55	..	..
स्वीकृत	46370,88,00	11099,47,00	46310,72,84	10971,86,05	60,15,16	127,60,95	..	..
22 रक्षा पेंशन प्रभारित	1,22,00	..	39,71	..	82,29	..	..	..
स्वीकृत	157679,78,00	..	157653,24,99	..	26,53,01	..	..	..
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	2040,69,00	3859,32,00	1100,28,06	2347,43,30	940,40,94	1511,88,70	..	..
24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	2514,48,00	1173,67,00	2387,39,62	999,33,36	127,08,38	174,33,64	..	..

*अनुदान सं. 12 डाक सेवाओं से संबंधित है जिसके लिए विनियोग लेखे का संकलन अलग खंड में किया गया है।

*अनुदान सं. 20 और 21 रक्षा सेवाओं से संबंधित हैं जिसके लिए विनियोग लेखे अलग खंड में संकलित किए जाते हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	127874,39,00	76,00	117984,18,49	25,08	9890,20,51	50,92	..	..
26 उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	63309,24,00	11,06,00	61751,09,35	4,84,10	1558,14,65	6,21,90	..	..
27 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत	21355,90,00	581,01,00	13344,65,53	325,86,06	8011,24,47	255,14,94	..	..
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृत	3885,40,00	93,28,00	2595,82,63	89,09,24	1289,57,37	4,18,76	..	..
29 विदेश मंत्रालय प्रभारित	3,00	..	..	..	3,00	..	..	..
30 आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत	23981,50,00	6058,61,00	23933,26,22	3890,99,26	48,23,78	2167,61,74	..	..
31 व्यय विभाग स्वीकृत	46569,72,00	70962,60,00	43923,51,71	11022,47,75	2646,20,29	59940,12,25	..	..
32 वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत	453,91,00	91,46,00	439,59,18	47,48,15	14,31,82	43,97,85	..	..
33 लोक उद्यम विभाग स्वीकृत	3376,66,00	809,19,00	3246,93,18	784,36,67	129,72,82	24,82,33	..	..
34 निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग स्वीकृत	26,03,00	69,00	21,37,85	64,17	4,65,15	4,83	..	..
35 राजस्व विभाग स्वीकृत	68,96,00	1,52,00	44,82,17	79,06	24,13,83	72,94	..	..
36 प्रत्यक्ष कर स्वीकृत	165054,06,00	531,98,00	159472,47,00	449,68,42	5581,59,00	82,29,58	..	..
	9202,35,00	2370,82,00	9143,94,33	2297,25,89	58,40,67	73,56,11	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
37 अप्रत्यक्ष कर स्वीकृत	38859,87,00	2372,39,00	37046,43,95	1771,76,63	1813,43,05	600,62,37	..	..
38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग प्रभारित	296,30,00	6,21,00	268,15,83	5,56,66	28,14,17	64,34	..	..
स्वीकृत	6178,82,00	175,75,00	6165,10,39	148,57,16	13,71,61	27,17,84	..	..
39 विनियोग-ब्याज अदायगियां प्रभारित	1208841,36,00	..	1164271,05,67	..	44570,30,33	..	..	..
40 विनियोग-ऋण की पुनर्दायगी प्रभारित	..	8512479,77,00	..	8500778,90,15	..	11700,86,85	..	..
41 पेंशन प्रभारित	470,00,00	..	465,47,13	..	4,52,87	..	..	..
स्वीकृत	93250,00,00	..	92895,68,18	..	354,31,82	..	..	..
42 राज्यों को अंतरण प्रभारित	132378,18,00	184000,00,00	120858,16,02	183893,56,75	11520,01,98	106,43,25	..	..
स्वीकृत	51802,61,00	..	27209,41,97	..	24593,19,03	..	..	..
43 मत्स्यपालन विभाग स्वीकृत	2597,45,00	19,01,00	1122,63,79	5,28,38	1474,81,21	13,72,62	..	..
44 पशुपालन और डेयरी विभाग स्वीकृत	4693,60,00	237,67,00	3451,23,65	198,00,87	1242,36,35	39,66,13	..	..
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत	4016,49,00	3,55,00	2864,84,27	1,98,05	1151,64,73	1,56,95	..	..
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत	105939,11,00	3612,30,00	103724,48,46	2398,36,46	2214,62,54	1213,93,54	..	..
47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत	3390,78,00	1,29,00	3382,98,16	95,20	7,79,84	33,80	..	..
48 भारी उद्योग विभाग प्रभारित	6,00	..	..	..	6,00	..	..	..
स्वीकृत	7240,22,00	1,80,00	2685,00,28	1,55,32	4555,21,72	24,68	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
49 गृह मंत्रालय								
स्वीकृत	6073,00,00	385,29,00	5425,13,57	269,63,21	647,86,43	115,65,79	..	..
50 मंत्रिमंडल								
स्वीकृत	1152,68,00	5007,67,00	646,16,80	4983,94,45	506,51,20	23,72,55	..	..
51 पुलिस								
प्रभारित	12,07,00	23,46,00	5,78,26	22,99,80	6,28,74	46,20	..	..
स्वीकृत	137608,69,00	13343,91,00	136373,78,32	11577,13,24	1234,90,68	1766,77,76	..	..
52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
प्रभारित	2,00	..	1,99	..	1	..	..	..
स्वीकृत	5634,38,00	467,22,00	5596,50,88	402,60,61	37,87,12	64,61,39	..	..
53 चंडीगढ़								
प्रभारित	514,45,00	50,00,00	512,80,83	50,00,00	1,64,17	..	..	..
स्वीकृत	5445,04,00	605,01,00	5432,89,43	602,49,09	12,14,57	2,51,91	..	..
54 दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव								
स्वीकृत	1637,44,00	1016,35,00	1634,99,80	1016,25,42	2,44,20	9,58	..	..
55 लद्दाख								
स्वीकृत	2892,12,00	3076,17,00	2408,67,68	2485,94,16	483,44,32	590,22,84	..	..
56 लक्षद्वीप								
स्वीकृत	1418,65,00	317,10,00	1412,11,52	215,64,94	6,53,48	101,45,06	..	..
57 दिल्ली को अंतरण								
स्वीकृत	968,01,00	280,00,00	966,00,00	142,00,00	2,01,00	138,00,00	..	..
58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण								
स्वीकृत	46000,07,00	..	46000,07,00	..	..	..	..	..
59 पुद्दुचेरी को अंतरण								
स्वीकृत	3329,99,00	1,00	3302,36,00	..	27,63,00	1,00	..	..
60 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय								
प्रभारित	167,78,00	50,11,00	165,13,84	45,86,31	2,64,16	4,24,69	..	..
स्वीकृत	53980,22,00	37606,59,00	21788,78,28	37143,96,27	32191,43,72	462,62,73	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत	4567,71,00	61,87,00	4261,67,33	45,10,32	306,03,67	16,76,68	..	..
62 जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग स्वीकृत	29830,72,00	403,19,00	26311,41,43	300,18,58	3519,30,57	103,00,42	..	..
63 पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वीकृत	77389,20,00	1,50,00	26257,15,82	1,49,92	51132,04,18	8	..	..
64 श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रभारित	68,00	..	67,75	..	25	..	..	..
स्वीकृत	22481,88,00	49,59,00	11403,42,60	32,38,61	11078,45,40	17,20,39	..	..
65 विधि और न्याय स्वीकृत	7482,71,00	175,85,00	7309,68,40	102,28,76	173,02,60	73,56,24	..	..
66 निर्वाचन आयोग स्वीकृत	333,85,00	27,91,00	332,93,05	17,56,47	91,95	10,34,53	..	..
67 विनियोग- भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रभारित	507,96,00	98,09,00	507,96,00	90,59,00	..	7,50,00	..	..
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	21549,89,00	589,07,00	9112,41,68	587,92,48	12437,47,32	1,14,52	..	..
69 खान मंत्रालय स्वीकृत	3486,84,00	46,16,00	3461,25,87	46,00,10	25,58,13	15,90	..	..
70 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	3179,50,00	3,75,00	1393,06,15	2,95,26	1786,43,85	79,74	..	..
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	32608,94,00	17,45,00	23292,79,71	6,38,69	9316,14,29	11,06,31	..	..
72 पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत	1161,21,00	22,44,00	838,63,65	11,65,53	322,57,35	10,78,47	..	..
73 संसदीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत	59,70,00	6,36,00	56,68,21	6,34,00	3,01,79	2,00	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रभारित स्वीकृत	24,18,00	45,52,00	22,64,56	36,80,08	1,53,44	8,71,92	..	..
75 विनियोग-केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रभारित	2280,80,00	258,92,00	2234,77,11	215,21,35	46,02,89	43,70,65	..	..
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	49,69,00	1,62,00	46,84,20	1,59,53	2,84,80	2,47	..	..
77 योजना मंत्रालय स्वीकृत	19126,84,00	1966,90,00	18721,78,12	1165,70,83	405,05,88	801,19,17	..	..
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	982,07,00	18,96,00	275,46,15	7,14,55	706,60,85	11,81,45	..	..
79 विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	2061,95,00	1467,39,00	1958,62,88	1419,64,48	103,32,12	47,74,52	..	..
80 विनियोग- राष्ट्रपति का कर्मचारी वृंद, गृह और भत्ते प्रभारित स्वीकृत	20700,52,00	2652,86,00	19892,19,47	2640,74,90	808,32,53	12,11,10	..	..
81 लोक सभा प्रभारित स्वीकृत	118,30,00	36,09,00	111,32,07	12,98,89	6,97,93	23,10,11	..	..
82 राज्य सभा प्रभारित स्वीकृत	1,56,00	..	52,35	..	1,03,65	..	..	..
83 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय स्वीकृत	791,21,00	79,23,00	670,11,80	25,81,99	121,09,20	53,41,01	..	..
	2,63,00	..	1,55,77	..	1,07,23	..	..	..
	423,11,00	15,68,00	398,14,53	12,36,38	24,96,47	3,31,62	..	..
	12,68,00	31,00	10,68,95	29,38	1,99,05	1,62	..	..

*अनुदान सं. 85 रेलवे से संबंधित है जिसके लिए विनियोग लेखे अलग खंड में संकलित किए जाते हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
84 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग प्रभारित	406,08,00	21,54,00	405,59,29	21,50,24	48,71	3,76	..	..
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रभारित	..	5,00,00	..	..	..	5,00,00	..	..
स्वीकृत	21950,22,00	353392,12,00	21556,17,17	347660,74,26	394,04,83	5731,37,74	..	..
87 ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	282562,08,00	4,14,00	270044,85,08	3,98,33	12517,22,92	15,67	..	..
88 भू-संसाधन विभाग प्रभारित	10,01,00	..	9,47,23	..	53,77	..	..	..
स्वीकृत	5137,22,00	1,01,00	3711,93,24	87,03	1425,28,76	13,97	..	..
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	7965,73,00	73,37,00	5058,13,39	64,22,34	2907,59,61	9,14,66	..	..
90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	2460,13,00	..	1998,00,46	..	462,12,54	..	..	..
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग स्वीकृत	6348,84,00	1,85,00	6269,64,22	1,29,53	79,19,78	55,47	..	..
92 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत	7095,28,00	110,37,00	5167,93,16	86,04,95	1927,34,84	24,32,05	..	..
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग स्वीकृत	13478,61,00	61,04,00	10373,20,79	35,79,10	3105,40,21	25,24,90	..	..
94 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग स्वीकृत	1224,08,00	1,20,00	1112,60,41	1,18	111,47,59	1,18,82	..	..
95 अंतरिक्ष विभाग प्रभारित	94,00	40,00	89,39	..	4,61	40,00	..	..
स्वीकृत	7474,63,00	5567,14,00	6987,77,30	4529,97,56	486,85,70	1037,16,44	..	..
96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	5408,85,00	44,98,00	3990,71,92	30,02,16	1418,13,08	14,95,84	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
97 इस्पात मंत्रालय स्वीकृत	324,20,00	8429,36,00	109,76,99	8429,30,25	214,43,01	5,75	..	..
98 वस्त्र मंत्रालय प्रभारित	16,00,00	..	16,00,00	..	..	..	..	..
स्वीकृत	4373,40,00	43,65,00	2940,04,57	42,41,52	1433,35,43	1,23,48	..	..
99 पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	2483,13,00	5,27,00	453,18,18	4,17,39	2029,94,82	1,09,61	..	..
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रभारित	5012,44,00	..	4106,43,41	..	906,00,59	..	..	..
स्वीकृत	7959,58,00	31,83,00	6064,72,61	2,04,71	1894,85,39	29,78,29	..	..
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	26588,85,00	7,58,00	25022,96,17	6,51,62	1565,88,83	1,06,38	..	..
102 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय स्वीकृत	3435,86,00	6,47,00	2830,81,59	2,23,62	605,04,41	4,23,38	..	..
कुल प्रभारित	1348909,00,00	8696862,81,00	1291844,37,72	8684988,85,86	57064,62,28	11873,95,14	..	..
स्वीकृत	2697099,21,00	704315,02,00	2437752,72,47	584799,27,60	259346,48,53	119515,74,40	..	..

परिशिष्ट-12

वर्ष 2024-25 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़)

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
01	वेतन	1,52,655.11	137.31	1,52,792.42
02	दिहाड़ी	1,957.07	0.00	1,957.07
04	पेंशन प्रभार	3,41,384.38	0.00	3,41,384.38
05	पुरस्कार	4,612.53	39.15	4,651.68
06	चिकित्सा उपचार	10,453.12	20.34	10,473.46
07	भत्ते	1,56,359.01	106.53	1,56,465.54
08	छुट्टी यात्रा रियायत	728.01	2.12	730.13
09	प्रशिक्षण व्यय	421.69	0.13	421.82
11	घरेलू यात्रा व्यय	8,468.94	5.69	8,474.62
12	विदेश यात्रा व्यय	650.12	0.00	650.12
13	कार्यालय व्यय	14,632.66	53.64	14,686.31
14	भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और कर	4,362.46	0.10	4,362.56
15	रॉयल्टी	0.87	0.00	0.87
16	मुद्रण एवं प्रकाशन	1,388.16	0.13	1,388.29
18	अन्यों के लिए किराया	1,390.82	3.09	1,393.91
19	डिजिटल उपकरण	883.66	0.84	884.50
21	सामग्री और आपूर्तियां	78,907.90	2,432.55	81,340.45
22	हथियार और गोला बारूद	506.16	0.00	506.16
23	राशन की लागत	900.42	0.00	900.42
24	ईंधन और स्नेहक	37,346.35	0.77	37,347.12
26	विज्ञापन और प्रचार	1,907.97	0.82	1,908.79

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
27	लघु सिविल एवं विद्युत कार्य	4,488.39	13.83	4,502.23
28	व्यावसायिक सेवाएं	14,039.18	160.64	14,199.82
29	मरम्मत और रखरखाव	8,866.87	112.32	8,979.19
31	सहायता अनुदान सामान्य	5,16,672.84	0.00	5,16,672.84
32	अंशदान	34,420.84	0.00	34,420.84
33	सहायिकी	4,41,861.69	0.00	4,41,861.69
34	छात्रवृत्तियां	9,074.71	0.00	9,074.71
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाने के लिए अनुदान	2,72,655.81	0.00	2,72,655.81
36	सहायता अनुदान वेतन	59,461.92	0.00	59,461.92
37	सहायता सामग्री एवं उपकरण	47.43	0.00	47.43
39	बैंक और एजेंसी शुल्क	582.42	0.00	582.42
40	पुरस्कार एवं पारितोषिक	57.29	0.00	57.29
41	गोपनीय सेवा व्यय	1,019.63	0.00	1,019.63
43	उचित	58.85	1,759.16	1,818.01
45	ब्याज भुगतान	11,67,785.41	0.00	11,67,785.41
49	अन्य राजस्व व्यय	74,662.80	2.09	74,664.89
51	मोटर वाहन	0.00	1,655.51	1,655.51
52	मशीनरी और उपकरण	0.00	27,840.89	27,840.89
54	निवेश	0.00	2,99,097.67	2,99,097.67
55	ऋण तथा अग्रिम	0.00	2,42,898.63	2,42,898.63
56	उधार की पुनर्दायगी	0.00	85,00,778.90	85,00,778.90
57	अभिदान	0.00	403.59	403.59
60	अन्य पूंजीगत व्यय	0.00	92,042.16	92,042.16

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
62	आरक्षित	2,659.48	0.00	2,659.48
63	अंतर लेखा अंतरण	6,10,990.07	68,484.58	6,79,474.65
64	हानियाँ/बट्टे खाते डालना	1,351.76	0.00	1,351.76
70	घटाएँ वसूलियाँ	-3,54,259.56	-84,574.52	-4,38,834.08
71	सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आइसीटी) उपकरण	0.00	6,756.34	6,756.34
72	भवन एवं संरचनाएँ	0.00	32,586.53	32,586.53
73	बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियाँ	0.00	2,37,808.53	2,37,808.53
74	फर्नीचर एवं फिक्सर	0.00	534.53	534.53
75	हथियार और गोला बारूद (पूंजीगत)	0.00	201.37	201.37
76	विरासत परिसंपत्तियों का उन्नयन, खरीद और एन.ई.सी.	0.00	165.18	165.18
77	अन्य अचल सम्पत्तियाँ	0.00	83.33	83.33
78	भूमि	0.00	7,108.78	7,108.78
80	अमूर्त संपत्तियाँ	0.00	2.72	2.72
कुल		36,86,415.24	94,38,725.98	1,31,25,141.22
वस्तु शीर्ष स्तर के अलावा दर्ज किया गया व्यय				
रेलवे		1.05	0.21	1.26
रक्षा		3,00,957.42	1,59,768.40	4,60,725.82
संघ राज्य क्षेत्र सहित सिविल विभाग		0.00	0.00	0.00
		3,00,958.47	1,59,768.61	4,60,727.08
आकस्मिकता निधि/अवर्गीकृत से भुगतान		0.00	0.00	0.00
कुल जोड़		39,87,373.71	95,98,494.58	1,35,85,868.29

**भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक**

महालेखा नियंत्रक भवन

जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ई, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

फोन : +91-11-24665579

वेबसाइट : www.cga.nic.in